एडिटोरियल

(संग्रह)

अप्रैल भाग-1

2022

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोन: 8750187501
ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

- वैश्विक खाद्य संकट पर भारत की प्रतिक्रिया 3
- महिला उद्यमियों के लिये अवसर 5
- श्रीलंका का आर्थिक संकट 7
- बिम्सटेक के भीतर सहयोग बढ़ाना 9
- आपराधिक प्रक्रिया विधेयक 12
- भारत-ऑस्ट्रेलिया ECTA 14
- प्रवासियों का समर्थन 16
- न्यायसंगत विकास 18
- भारत-नेपाल संबंधों की बहाली 20
- स्टार्टअप्स की ग्रोथ स्टोरी 22
- शहरी नियोजन और जलवायु परिवर्तन 24
- सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल हासिल करना 26
- मीथेन उत्सर्जन से निपटना 28
- मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न 31

दृष्टि The Vision

नोट :

वैश्विक खाद्य संकट पर भारत की प्रतिक्रिया

संदर्भ

वैश्विक भुखमरी में वृद्धि हो रही है जो जलवायु संकट, महामारी के आघात, संघर्ष, गरीबी और असमानता जैसे घटकों से प्रेरित है। लाखों लोग भुखमरी में जी रहे हैं और लाखों लोगों की पर्याप्त भोजन तक पहुँच नहीं है।

वैश्विक खाद्य संकट के बीच भारत 'वसुधैव कुटुंबकम' की अपनी धारणा को साकार करते हुए कई खाद्य-असुरक्षित देशों के लिये संकट के समय के मित्र के रूप में उभरा है। पिछले दशकों में भारत सहायता की आवश्यकता रखने वाले देश से विभिन्न देशों को सहायता प्रदान करने वाले देश में रूप में परिणत हो गया है।

वैश्विक भुखमरी परिदृश्य

- वर्ष 2019 में दुनिया भर में 650 मिलियन लोग चरम भुखमरी से पीड़ित थे और वर्ष 2014 की तुलना में उनकी संख्या में 43 मिलियन की वृद्धि हुई थी।
  - महामारी के उभार के बाद से भुखमरी के कगार पर रहने वाले लोगों की संख्या एक वर्ष पहले के 135 मिलियन से दोगुनी होकर 270 मिलियन हो गई है।
- वर्तमान में वर्ष 2015 की तुलना में अधिक लोग भुखमरी के शिकार हैं, जबकि उल्लेखनीय है कि 2015 में भारत सहित संयुक्त राष्ट्र के अन्य सदस्य देशों ने सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) पर सहमति व्यक्त की थी जो लोगों के लिये और पृथ्वी के लिये, वर्तमान के लिये और भविष्य में, शांति एवं समृद्धि के लिये एक साझा खाका प्रदान करते हैं।
- कुपोषण का वैश्विक बोझ बहुत अधिक बना हुआ है, जहाँ लगभग 150 मिलियन बच्चे स्टंटिंग के शिकार हैं, लगभग 50 मिलियन बच्चे वेस्टिंग से ग्रस्त हैं, और हर दूसरा बच्चा (और दो मिलियन वयस्क) सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कमी से पीड़ित हैं।
  - तत्काल खाद्य सहायता की आवश्यकता रखने वाले लोगों की संख्या वर्ष 2021 में 270 मिलियन अनुमानित थी, जिसमें अफगानिस्तान में जारी संकट और यूक्रेन में चल रहे युद्ध के कारण उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

'वसुधैव कुटुंबकम' की भारतीय अवधारणा

- भारतीय पारंपरिक दार्शनिक दृष्टिकोण में निहित 'वसुधैव कुटुंबकम' (यानी 'पृथ्वी एक परिवार है') की अवधारणा ने संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संकटों की सामूहिक प्रकृति और उस पर आवश्यक सुसंगत प्रतिक्रिया की आवश्यकता को रेखांकित करने के क्रम में उद्धृत किये जाने के बाद से पिछले 75 वर्षों में वृहत प्रासंगिकता प्राप्त कर ली है।
  - इस अवधारणा में निहित है कि विविध राष्ट्र एक समूह की रचना करते हैं और चिंता एवं मानवता के साझा संबंध से मुँह नहीं मोड़ सकते।
- वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत विश्व को एक परिवार के रूप में देखता है और इस तरह न केवल वैश्विक शांति, सहयोग, पर्यावरण संरक्षण के लिये बल्कि बढ़ती वैश्विक भुखमरी से मुकाबले और किसी को पीछे नहीं छोड़ने के रूप में मानवीय प्रतिक्रिया के लिये भी इस अवधारणा की प्रासंगिकता को रेखांकित किया था।

खाद्य संकट के संदर्भ में भारत के विज़न की पूर्ति

- संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (UN World Food Programme- UN WFP) के माध्यम से अफगानिस्तान के लोगों के लिये भारत की हालिया और जारी मानवीय खाद्य सहायता मानवीय संकटों के प्रति इसकी प्रतिबद्धता और प्रशंसनीय प्रयासों का उदाहरण है।

- भारत अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप पाकिस्तान के माध्यम से अफगानिस्तान को गेहूँ के रूप में 50,000 मीट्रिक टन (MT) खाद्य सहायता भेज रहा है।
- यह देखते हुए कि वर्ष 2022 में अफगानिस्तान की लगभग आधी आबादी (22.8 मिलियन लोग) के खाद्य असुरक्षित होने की आशंका है (जिसमें 8.7 मिलियन लोग अकाल जैसी स्थितियों का जोखिम रखते हैं), भारत की यह सहायता अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

- पिछले दो वर्षों में भारत ने प्राकृतिक आपदाओं और कोविड-19 महामारी से उबरने के लिये अफ्रीका और मध्य पूर्व/पश्चिम एशिया के कई देशों को सहायता प्रदान की है।

खाद्य पर्याप्तता के मामले में भारत की स्थिति

- हरित क्रांति के बाद से भारत ने खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक प्रेरक यात्रा के साथ खाद्य उत्पादन में भारी प्रगति दर्ज की है।
  - वर्ष 2020 में भारत ने 300 मिलियन टन से अधिक खाद्यान्न का उत्पादन किया और 100 मिलियन टन के खाद्य भंडार का निर्माण किया था।
  - वर्ष 2021 में भारत ने रिकॉर्ड 20 मिलियन टन चावल और गेहूँ का निर्यात किया।
- संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन 2021 ने भी खाद्य की भारी कमी वाले देश से अधिशेष खाद्य उत्पादक देश में परिणत होने की भारत की सुदीर्घ यात्रा को रेखांकित किया जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अन्य विकासशील देशों के लिये कई मूल्यवान सबक प्रदान करता है।
  - वर्ष 1991 से 2015 के बीच की अवधि में कृषि का विविधीकरण हुआ जहाँ कृषि फसलों से आगे बढ़ते हुए बागवानी, डेयरी, पशुपालन और मत्स्य क्षेत्रों पर वृहत ध्यान दिया गया।

देश के भीतर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की परिकल्पना

- खाद्य के मामले में समानता लाने के भारत के सबसे बड़े योगदानों में से एक इसका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) 2013 है जो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS), मध्याह्न भोजन (MDM) और एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) को आधार प्रदान करता है।
  - वर्तमान में भारत के खाद्य सुरक्षा जाल (food safety nets) सामूहिक रूप से एक बिलियन से अधिक लोगों को दायरे में लेते हैं।
- खाद्य सुरक्षा जाल और समावेशन सार्वजनिक खरीद और बफर स्टॉक नीति से जुड़े हुए हैं।
  - वर्ष 2008-2012 के वैश्विक खाद्य संकट के दौरान और हाल ही में कोविड-19 महामारी के समय खाद्यान्न के बड़े भंडार के साथ TDPS ने हाशिए पर स्थित और कमज़ोर परिवारों के लिये जीवनरेखा की भूमिका निभाई।
- NFSA के दायरे में आने वाले 800 मिलियन लाभार्थियों को महामारी-प्रेरित आर्थिक कठिनाइयों से राहत प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2020 में शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) को सितंबर 2022 तक छह माह के लिये और बढ़ा दिया गया है।

भारत का स्वयं का भुखमरी परिदृश्य

- खाद्य और कृषि रिपोर्ट, 2018 में कहा गया है कि भारत में विश्व के 821 मिलियन कुपोषित लोगों में से 195.9 मिलियन का वास है जो विश्व में भुखमरी से ग्रस्त लोगों में से लगभग 24% का प्रतिनिधित्व करते हैं।
  - भारत में अल्पपोषण की व्यापकता 14.8% है जो वैश्विक और एशियाई दोनों औसतों से अधिक है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा वर्ष 2017 में बताया गया था कि देश में लगभग 19 करोड़ लोग हर रात खाली पेट सोने को विवश हैं।
- इसके अतिरिक्त, सबसे चौंकाने वाला आँकड़ा इस रूप में सामने आया कि देश में हर दिन लगभग 4500 बच्चे पाँच वर्ष की आयु से पहले भुखमरी और कुपोषण के कारण मर जाते हैं। इस प्रकार देश में भुखमरी से अकेले बच्चों की ही हर साल तीन लाख से अधिक मौतें होती हैं।
- भारत 116 देशों के वैश्विक भुखमरी सूचकांक (GHI) 2021 में 101वें स्थान पर फिसल गया है, जो वर्ष 2020 में 94वें स्थान पर रहा था।

नोट :

आगे की राह

- वैश्विक शांति की ओर: मानवीय खाद्य सहायता और साझेदारियाँ जो खाद्य सुरक्षा जाल और लचीली आजीविका के माध्यम से सुदृढ़ नीतिगत नवाचारों के सृजन में मदद करती हैं, वैश्विक शांति की दिशा में योगदान देंगी।
    - भारत को खाद्य आपात स्थिति और खाद्य असुरक्षा से जूझ रहे अपने पड़ोसी देशों एवं अन्य देशों को सहायता प्रदान करना जारी रखना चाहिये जो इसके विकास प्रक्षेप-वक्र के साथ ही दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने में योगदान करेगा।
- भारत-WFP साझेदारी: भारत ने भुखमरी और कुपोषण को दूर करने में बड़ी प्रगति की है, लेकिन वैश्विक स्तर पर शून्य भुखमरी और खाद्य समानता के लक्ष्य को पूरा करने के लिये अभी बहुत कुछ किये जाने की ज़रूरत है।
    - पाँच दशकों से भी अधिक समय से WFP भारत के साथ साझेदारी कर रहा है और एक प्राप्तकर्ता से एक दाता के रूप में परिणत होने की इसकी यात्रा का साक्षी रहा है।
    - विश्व की सबसे बड़ी मानवीय एजेंसी के रूप में WFP और सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत इस साझेदारी का लाभ उठाकर खाद्य आपात स्थिति को संबोधित करने एवं मानवीय प्रतिक्रिया को सशक्त करने में योगदान दे सकते हैं, जहाँ 'किसी को भी पीछे न छोड़ने' और 'वसुधैव कुटुंबकम' की भावना की पुष्टि होगी।
- देश से भुखमरी मिटाना: हालाँकि दूसरे देशों की मदद करने में भारत का प्रयास सराहनीय है, लेकिन भारत की स्वयं की भुखमरी की समस्या पर ध्यान देना भी आवश्यक है।
    - सरकार को पोषण से जुड़ी योजनाओं में धन का शीघ्र वितरण और धन का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
    - खाद्य असुरक्षा में तेज़ वृद्धि सरकार द्वारा देश में खाद्य सुरक्षा की स्थिति की नियमित निगरानी के लिये प्रणालियाँ स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता का संकेत देती है।
    - इसके साथ ही, स्वास्थ्य, जल, स्वच्छता आदि से संबंधित योजनाओं का उचित क्रियान्वयन भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है क्योंकि पोषण केवल भोजन की उपलब्धता भर तक सीमित विषय नहीं है।

महिला उद्यमियों के लिये अवसर

संदर्भ

लाखों संभावनाओं और विशाल प्रतिभाओं वाले इस देश में नौकरी पाने की आकांक्षा के बजाय अब स्टार्ट-अप और रोज़गार सृजन की ओर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। युवा उद्यमियों के नेतृत्व में भारत में यूनिकॉर्न की अभूतपूर्व वृद्धि देश में हज़ारों महत्त्वाकांक्षी स्टार्टअप्स को प्रेरित कर रही है।

हालाँकि उद्यमिता को प्रायः पुरुष प्रधान कार्यक्षेत्र के रूप में देखा जाता है और महिलाओं की अनदेखी की जाती है।

भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में परिणत करने के लिये महिला उद्यमिता को इसके आर्थिक विकास में एक बड़ी भूमिका निभानी होगी। भारत का लैंगिक संतुलन विश्व में न्यूनतम संतुलनों में से एक है और इसमें सुधार करना न केवल लैंगिक समानता के लिये बल्कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिये महत्त्वपूर्ण है।

भारत में स्टार्टअप्स का परिदृश्य

- संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप पारितंत्र के रूप में उभरा है।
- वर्ष 2021 में भारत में प्रति माह 3 यूनिकॉर्न (1 बिलियन डॉलर से अधिक मूल्य वाले स्टार्ट-अप फर्म) के योग के साथ इनकी संख्या 51 हो गई है जो यूनाइटेड किंगडम (32) और जर्मनी (32) से अधिक है।
    - भारत के इन 51 यूनिकॉर्न में से पाँच का नेतृत्व महिलाएँ कर रही हैं।
- MSME के तहत उपलब्ध आँकड़ों से पता चलता है कि महिलाओं ने फैशन, टेक्सटाइल और होममेड एक्सेसरीज जैसे क्षेत्रों के स्टार्टअप्स में वृद्धि दिखाई है।

स्टार्टअप की दौड़ में अधिकाधिक महिला उद्यमियों के शामिल होने का महत्त्व

- बाज़ार पूंजीकरण में वृद्धि: अनुमान है कि भारत आने वाले वर्षों में सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा और भारत का बाज़ार पूंजीकरण इसके नॉमिनल जीडीपी से भी अधिक तेज़ी से बढ़ रहा है।
  - आर्थिक सुधार के गति पकड़ने के साथ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स से लेकर टेक्सटाइल, फूड से लेकर फुटवियर, एग्रो-प्रोडक्ट्स से लेकर ऑटोमोबाइल तक सभी बाज़ार खंडों में दोहरे अंकों के विकास की उम्मीद है।
- 'आइडिया' और 'मेंटरशिप' की उपलब्धता में वृद्धि: बाज़ार की मांग को देखते हुए स्टार्टअप्स को तीन बुनियादी अवयवों की आवश्यकता होती है: आइडिया, मेंटरशिप और फाइनेंस। ये तीनों ही तत्त्व आज भारत में महत्त्वाकांक्षी महिला उद्यमियों के लिये इस तरह उपलब्ध हैं जैसे अतीत में कभी नहीं रहे थे।
  - महिला स्नातकों के स्टार्टअप विचारों को प्रोत्साहित करने के लिये अधिकांश कॉलेजों द्वारा महिलाओं को मेंटरशिप कार्यक्रमों की पेशकश की जा रही है।
  - नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित महिला उद्यमिता कार्यक्रम (Women Entrepreneurship Programme- WEP) के माध्यम से उनके लिये 'इनक्यूबेशन' और 'एक्सिलेरेशन' सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
  - लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) के प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन (PMEG) कार्यक्रम के तहत उनके लिये विशेष श्रेणी के लाभ उपलब्ध हैं।
- वित्तीय समावेशिता के अवसर: भारत सरकार और कई राज्य सरकारें महिलाओं के वित्तीय समावेशन में सुधार के लिये योजनाएँ चला रही हैं। 'प्रधानमंत्री मुद्रा योजना' महिलाओं के लिये ऐसी ही एक उच्च-क्षमता योजना है जो संपार्श्विक-मुक्त ऋण प्रदान करती है।
  - 'देना शक्ति योजना' कृषि, विनिर्माण, माइक्रो-क्रेडिट, रिटेल स्टोर या छोटे उद्यम क्षेत्रों में महिला उद्यमियों के लिये 20 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करती है।
    - यह योजना ब्याज दर पर 0.25% की रियायत भी प्रदान करती है।
  - भारत सरकार ने SCs, STs और महिला उद्यमियों जैसे अपर्याप्त रूप से सेवा प्राप्त समूहों की ओर हाथ बढ़ाते हुए 'स्टैंड अप इंडिया' योजना भी शुरू की है ताकि वे संस्थागत ऋण संरचना का लाभ उठा सकें।
  - 'स्त्री शक्ति योजना' और 'ओरिएंट महिला विकास योजना' उन महिलाओं का समर्थन करती है जो अपने कारोबार का अधिकांश स्वामित्व रखती हैं।
  - जो महिलाएँ खानपान/कैटरिंग क्षेत्र में अपना नामांकन कराना चाहती हैं, वे 'अन्नपूर्णा योजना' के माध्यम से ऋण प्राप्त कर सकती हैं।

महिला उद्यमियों के समक्ष विद्यमान चुनौतियाँ

- महिला सलाहकारों की कमी: व्यवसाय संस्थापकों के रूप में कुछ ही महिलाओं की उपस्थिति के कारण साथी उद्यमियों को सलाह और प्रेरणा देने के लिये उनकी कमी रह जाती है।
  - महिला-स्वामित्व वाले स्टार्टअप्स के लिये एक प्रमुख बाधा यह है कि महिलाओं के लिये रोल मॉडल की कमी है जो उद्यमी महिलाओं के लिये अपने अग्रणी साथियों से सीखना और उनकी सहायता लेना कठिन बना देती है।
  - महिलाओं के लिये एक बिज़नेस नेटवर्क के मूल्य को अधिकतम करना भी कठिन है, क्योंकि नेटवर्किंग पारंपरिक रूप से पुरुष-केंद्रित समूहों और संगठनों में ही की जाती रही है।
- बुद्धिमत्ता क्षमताओं का आकलन करने वाले जैविक पहलू: एक लंबे समय से चली आ रही धारणा यह रही है कि पुरुष नैसर्गिक रूप से अधिक तार्किक होते हैं (इस प्रकार जोखिम-युक्त उपक्रमों के लिये अधिक उपयुक्त होते हैं), जबकि महिलाओं के सहानुभूतिपूर्ण होने की संभावना अधिक होती है (इसलिये वे केवल कुछ निश्चित व्यवसायों के लिये उपयुक्त होती हैं)।
  - मनोवैज्ञानिक अवलोकनों से ग्रहण किये गए औसत अनुमानों के आधार पर महिलाओं के कुछ क्षेत्रों में प्रवेश को बाधित करने के लिये ऐसा दृष्टिकोण सर्वथा अतार्किक है।
- पितृसत्तात्मक संरचना और पारिवारिक बाधाएँ: जबकि बहुत सी महिलाओं में ऐसे क्षेत्रों में शीर्ष तक पहुँचने की क्षमता और महत्त्वाकांक्षा होती है जो आम तौर पर पूर्णरूपेण पुरुष उपस्थिति से निर्देशित होते रहे हैं, लेकिन समाज की पितृसत्तात्मक संरचना द्वारा प्राय: उन्हें उनके सपनों को साकार करने से वंचित कर दिया जाता है।

नोट :

- जब एक महिला व्यवसाय करने की इच्छा जताती है तो आम लोग, रिश्तेदार और यहाँ तक कि माता-पिता भी तुरंत ही कह देते हैं कि यह उसका क्षेत्र नहीं है। अगर वह कुछ करने की इच्छा रखती है तो नौकरी तो कर सकती है लेकिन व्यवसाय करना उसके लिये अनुपयुक्त बताया जाता है।

- वित्त और प्रबंधन जुटाना: वित्त जुटाना और उसका प्रबंधन एक अन्य कठिन विषय है, क्योंकि अधिकांश मामलों में महिलाओं को क्रेडिट-योग्य नहीं माना जाता है।
  - वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजेल निवेशक और बैंकर आम तौर पर ऋण चुका सकने की उनकी क्षमता पर भरोसा नहीं करते हैं।
    - उन्हें वित्त मिल भी जाता है तो मध्यम वर्ग पृष्ठभूमि की महिलाओं को इसके प्रबंधन के कुछ ही अवसर प्राप्त होते हैं, जबकि वे वर्षों से अपने दम पर बिना इसे जाने ही अपने वित्त का प्रबंधन अच्छी तरह से कर रही होती हैं।
  - जब भी उनके व्यवसायों के लिये वित्त प्रबंधन की बात आती है तो उनका आत्मविश्वास कम पड़ने लगता है और अधिकांश समय वे दूसरों पर निर्भर बनी रहती हैं।

स्टार्टअप्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उपाय

- जोखिम लेने की क्षमता को बढ़ाना: चूँकि महिलाओं के पास कई वित्तीय विकल्प मौजूद हैं, सर्वप्रथम उनके जोखिम लेने की क्षमता को बढ़ाने की ज़रूरत है, फिर वे स्टार्टअप की दौड़ में पुरुषों को पीछे छोड़ने को तैयार होंगी।
  - भारतीय महिलाओं को अपना स्वयं का कारोबार शुरू करने के लिये देश में जारी यूनिकॉर्न 'उत्सव' से उत्पन्न हो रहे सुनहरे अवसरों का लाभ उठाना चाहिये और आत्मनिर्भर भारत की यात्रा का नेतृत्व करना चाहिये।
  - यह समाज, वित्तीय संस्थानों, एंजेल निवेशकों और सरकार के लिये यह समझने का समय है कि देश महिलाओं की भागीदारी के बिना स्थायी प्रगति को बढ़ावा नहीं दे सकता और महिलाएँ आर्थिक विकास को उत्प्रेरित कर सकती हैं।
- महिलाओं को नेतृत्वकारी भूमिका में लाना: महिला उद्यमिता के प्रमुख चालक अवसंरचना और शिक्षा में निवेश होंगे जो भारत में महिलाओं द्वारा शुरू किये गए व्यवसायों के उच्च अनुपात का निर्माण करेंगे।
  - बेहतर शिक्षा एवं स्वास्थ्य, वेतन अंतराल में कमी लाने जैसे प्रयास और अधिक प्रयास को प्रोत्साहित करते हैं और बेहतर कैरियर-उन्नति अभ्यासों के रूप में परिणाम देते हैं; इस प्रकार प्रतिभाशाली महिलाओं को नेतृत्व और प्रबंधकीय भूमिकाओं में बढ़ावा मिलता है।
- महिलाओं के लिये महिला रोल मॉडल: संबंधित उद्योगों में स्थानीय व्यवसायों का उच्च महिला स्वामित्व अधिक सापेक्षिक महिला प्रवेश दर की संभावना रखता है।
  - मौजूदा महिला उद्यमी सक्रिय रूप से अन्य इच्छुक महिला उद्यमियों की ओर हाथ बढ़ा सकती हैं। यदि अधिक नहीं तो कम से कम वे अपने उद्योगों या कार्यक्षेत्र में उन्हें मार्गदर्शन प्रदान कर सकती हैं।
  - स्थानीय व्यवसायों का संचालन करने की इच्छुक महिलाओं के लिये विशेष रूप से संगोष्ठियों या कार्यशालाओं का आयोजन करना एक और सार्थक कदम हो सकता है।
- महिला निवेशकों को प्रोत्साहित करना: अधिकांश निवेशक समूहों में पुरुषों का वर्चस्व है और उनके नेतृत्व में संचालित हैं, जबकि निवेश समितियाँ भी प्राय: पुरुष-प्रधान होती हैं। एंजल इनवेस्टर्स में महिलाओं की उपस्थिति मात्र 2% है।
  - ऐसे अचेतन पूर्वाग्रहों को दूर करने के लिये कम से कम एक या अधिक महिला निवेशकों को निवेश समूह में शामिल किया जाना चाहिये।
  - यदि निर्णय लेने वाले समूह में लैंगिक विविधता होगी तो इस बात की संभावना बनेगी कि निधि की मांग रखने वाली महिलाओं पर अधिक निष्पक्ष तरीके से विचार किया जाएगा और संभवत: वे अधिक अनुकूल निर्णय प्राप्त करने में सफल होंगी।

श्रीलंका का आर्थिक संकट

संदर्भ

भुगतान संतुलन (Balance of Payments- BoP) की गंभीर समस्या के कारण श्रीलंका की अर्थव्यवस्था इन दिनों संकट में है। उसका विदेशी मुद्रा भंडार तेज़ी से घटता जा रहा है और देश के लिये आवश्यक उपभोग की वस्तुओं का आयात करना कठिन होता जा रहा है।

श्रीलंका का वर्तमान आर्थिक संकट उसकी आर्थिक संरचना में निहित ऐतिहासिक असंतुलन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की ऋण संबंधी शर्तों और सत्तावादी शासकों की गुमराह नीतियों का परिणाम है।

संकट का कारण

- पृष्ठभूमि: वर्ष 2009 में श्रीलंका जब 26 वर्षों से जारी गृहयुद्ध से उभरा तो युद्ध के बाद की उसकी जीडीपी वृद्धि वर्ष 2012 तक प्रति वर्ष 8-9% के उपयुक्त उच्च स्तर पर बनी रही थी।
  - लेकिन वैश्विक कमोडिटी मूल्यों में गिरावट, निर्यात की मंदी और आयात में वृद्धि के साथ वर्ष 2013 के बाद उसकी औसत जीडीपी विकास दर घटकर लगभग आधी रह गई।
  - गृहयुद्ध के दौरान श्रीलंका का बजट घाटा बहुत अधिक था और वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट ने उसके विदेशी मुद्रा भंडार को समाप्त कर दिया था, जिसके कारण देश को वर्ष 2009 में IMF से 2.6 बिलियन डॉलर का ऋण लेने के लिये विवश होना पड़ा था।
  - वर्ष 2016 में श्रीलंका एक बार फिर 1.5 बिलियन डॉलर के ऋण के लिये IMF के पास पहुँचा, लेकिन IMF की शर्तों ने श्रीलंका के आर्थिक स्वास्थ्य को और बदतर कर दिया।
- हाल के आर्थिक झटके: कोलंबो के विभिन्न गिरिजाघरों में अप्रैल 2019 में हुई ईस्टर बम विस्फोटों की घटना में 253 लोग तो हताहत हुए ही, इसके परिणामस्वरूप देश में पर्यटकों की संख्या में तेज़ी से गिरावट आई जिससे उसके विदेशी मुद्रा भंडार पर भारी असर पड़ा।
  - वर्ष 2019 में सत्ता में आई गोटाबाया राजपक्षे की सरकार ने अपने चुनावी अभियानों में निम्न कर दरों और किसानों के लिये व्यापक रियायतों का वादा किया था।
    - इन अविवेकपूर्ण वादों की त्वरित पूर्ति ने समस्या को और बढ़ा दिया।
  - वर्ष 2020 में उभरे कोविड-19 महामारी ने स्थिति को बद से बदतर कर दिया, जहाँ-
    - चाय, रबर, मसालों और कपड़ों के निर्यात को नुकसान पहुँचा।
    - पर्यटकों के आगमन तथा राजस्व में और गिरावट आई
    - सरकार के व्यय में वृद्धि के कारण वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा 10% से अधिक हो गया और 'ऋण-जीडीपी अनुपात' वर्ष 2019 में 94% के स्तर से बढ़कर वर्ष 2021 में 119% हो गया।
- श्रीलंका का उर्वरक प्रतिबंध: वर्ष 2021 में सरकार ने सभी उर्वरक आयातों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया और श्रीलंका को रातों-रात 100% जैविक खेती वाला देश बनाने की घोषणा कर दी गई।
  - रातों-रात जैविक खादों की ओर आगे बढ़ जाने के इस प्रयोग ने खाद्य उत्पादन को गंभीर रूप से प्रभावित किया।
  - नतीजतन, श्रीलंका के राष्ट्रपति ने बढ़ती खाद्य कीमतों, मुद्रा का लगातार मूल्यह्रास और तेज़ी से घटते विदेशी मुद्रा भंडार पर नियंत्रण के लिये देश में एक आर्थिक आपातकाल की घोषणा कर दी।
- विदेशी मुद्रा की कमी के साथ-साथ रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों पर रातों-रात आरोपित विनाशकारी प्रतिबंध ने खाद्य कीमतों को और बढ़ा दिया। मुद्रास्फीति का स्तर वर्तमान में 15% से अधिक है और इसके औसतन 17.5% रहने का अनुमान है, जिससे लाखों गरीब श्रीलंकाई गंभीर संकट की स्थिति में पहुँच गए हैं।

श्रीलंका के वर्तमान संकट में भारत की सहायता

- जहाँ आशंका जताई जा रही है कि गंभीर डॉलर संकट से 'सॉवरेन डिफ़ॉल्ट' और आयात-निर्भर देश में आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी की स्थिति बन सकती है, इससे जूझ रहे पड़ोसी द्वीपीय-राष्ट्र को जनवरी 2022 से भारत उल्लेखनीय आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है।
- वर्ष 2022 के आरंभ से भारत द्वारा 1.4 बिलियन डॉलर से अधिक का राहत प्रदान किया गया है जिसमें 400 डॉलर का 'करेंसी स्वैप', 500 डॉलर का ऋण स्थगन (loan deferment) और ईंधन आयात के लिये 500 डॉलर का 'लाइन ऑफ क्रेडिट' शामिल है।
- इसके साथ ही अभी हाल ही में भारत ने अभूतपूर्व आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका की मदद के लिये उसे 1 बिलियन डॉलर अल्पकालिक रियायती ऋण भी प्रदान किया है।

श्रीलंका की मदद करना भारत के हित में

- चीन से श्रीलंका का कोई भी मोहभंग हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' से श्रीलंकाई द्वीपसमूह को दूर रखने के भारत के प्रयास को सुगमता मिलेगी।
  - इस क्षेत्र में चीनी उपस्थिति और प्रभाव को नियंत्रित करना भारत के हित में है।
- श्रीलंकाई लोगों की कठिनाइयों को कम करने के लिये भारत जहाँ तक न्यून-लागत सहायता प्रदान कर सकता हो, उसे प्रदान करना चाहिये, लेकिन साथ ही यह ध्यान में रखते हुए सावधानी से ऐसा किया जाना चाहिये कि उसकी सहायता का नज़र आना भी मायने रखता है।

आगे की राह

- श्रीलंका के लिये उपाय: जैसे ही कुछ आवश्यक वस्तुओं की कमी समाप्त होती है, जैसा सिंहल-तमिल नव वर्ष (अप्रैल के मध्य में) की शुरुआत से पहले होने की उम्मीद है, सरकार को देश के आर्थिक सुधार के लिये उपाय करने चाहिये।
  - मौजूदा संकट से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों के साथ ही युद्ध प्रभावित उत्तरी और पूर्वी प्रांतों के आर्थिक विकास के लिये एक रोडमैप बनाने हेतु सरकार को तमिल राजनीतिक नेतृत्व के साथ हाथ मिलाना चाहिये।
  - घरेलू कर राजस्व को बढ़ाना और उधारी (विशेष रूप से बाहरी स्रोतों से सॉवरेन उधारी) को सीमित करने के लिये सरकारी व्यय को कम करने जैसे उपयुक्त कदम उठाने होंगे।
    - रियायत और सब्सिडी संबंधी व्यवस्था के पुनर्गठन के लिये कड़े कदम उठाए जाने चाहिये।
- भारत की सहायता: भारत के लिये यह अविवेकपूर्ण होगा कि वह चीन को श्रीलंकाई क्षेत्र में अपना अधिग्रहण बढ़ाने का अवसर दे। भारत को श्रीलंका के लिये वित्तीय मदद, नीतिगत सलाह और भारतीय उद्यमियों की ओर से वहाँ निवेश की पेशकश करनी चाहिये।
  - भारतीय व्यवसायों को आपूर्ति शृंखलाओं का निर्माण करना चाहिये जो चाय के निर्यात से लेकर सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं तक वस्तुओं एवं सेवाओं के विषय में भारतीय और श्रीलंकाई अर्थव्यवस्थाओं को आपस में सहयुक्त करे।
  - किसी अन्य देश के बजाय भारत को आगे बढ़ते हुए एक स्थिर व मैत्रीपूर्ण पड़ोस का लाभ प्राप्त कर सकने के लिये श्रीलंका की मदद करनी चाहिये ताकि वह अपनी क्षमताओं को उपयोग कर सके।
- अवैध शरण की रोकथाम: श्रीलंका से अवैध तरीकों से 16 व्यक्तियों के आगमन के साथ तमिलनाडु राज्य ने पहले ही इस संकट के प्रभाव को महसूस करना शुरू कर दिया है।
  - वर्ष 1983 के तमिल-विरोधी नरसंहार के बाद तमिलनाडु लगभग तीन लाख शरणार्थियों का शरण-स्थल बना था।
  - भारत और श्रीलंका दोनों के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि वर्तमान संकट का उपयोग तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिये या दोनों देशों में भावनाओं को भड़काने के लिये नहीं किया जा सके।
- 'आपदा में अवसर': तनावपूर्ण संबंध न तो श्रीलंका के हित में हैं और न ही भारत के। एक अधिक बड़े देश के रूप में इसका उत्तरदायित्व भारत पर है; उसे अत्यंत धैर्य रखने की और श्रीलंका को और भी अधिक नियमितता व निकटता से संलग्न करने की आवश्यकता है।
  - कोलंबो के घरेलू मामलों में किसी भी तरह के हस्तक्षेप से दूर रहते हुए हमारी जन-केंद्रित विकासात्मक गतिविधियों को भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।
  - नई दिल्ली और कोलंबो को पाक खाड़ी (Palk Bay) मत्स्य-क्षेत्र विवाद, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक लंबे समय से अड़चन बना रहा है, का समाधान निकालने के लिये इस आपदा को एक अवसर के रूप में उपयोग करना चाहिये।

बिम्सटेक के भीतर सहयोग बढ़ाना

संदर्भ

'इंडो-पैसिफिक' या हिंद-प्रशांत के विचार के फिर से उभार के साथ बंगाल की खाड़ी क्षेत्र का आर्थिक और सामरिक महत्त्व तेज़ी से बढ़ रहा है ।

हाल ही में आयोजित 'बिम्सटेक', अर्थात् 'बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल' (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation- BIMSTEC) के पाँचवें शिखर सम्मेलन ने क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण के मुद्दे को और आगे बढ़ाया है।

चूँकि इस वर्ष बिम्सटेक ने अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर लिये हैं, इसे सुरक्षा, व्यापार, कनेक्टिविटी और नवाचार जैसे क्षेत्रों में दृश्यमान प्रगति के लिये सदस्य देशों के बीच केंद्रित ध्यान और सहयोग की आवश्यकता है।

बिम्सटेक महत्त्वपूर्ण क्यों है?

- तेज़ी से बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य में विकास सहयोग के लिये एक प्राकृतिक मंच के रूप में बिम्सटेक में विशाल संभावनाएँ निहित हैं और यह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक धुरी के रूप में अपनी अनूठी स्थिति का लाभ उठा सकता है।
- बिम्सटेक के बढ़ते महत्त्व के लिये इसकी भौगोलिक निकटता, प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक एवं मानव संसाधनों की उपस्थिति और क्षेत्र में गहन सहयोग को बढ़ावा देने के लिये समृद्ध ऐतिहासिक संबंधों एवं सांस्कृतिक विरासत की उपस्थिति को श्रेय दिया जा सकता है।
- बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में हिंद-प्रशांत विचार की धुरी बनने की क्षमता है, यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पूर्व और दक्षिण एशिया की प्रमुख शक्तियों के रणनीतिक हित प्रतिच्छेद करते हैं।
  - यह एशिया के दो प्रमुख उच्च-विकास केंद्रों, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है।

कोलंबो शिखर सम्मेलन की मुख्य बातें

कोलंबो पैकेज

- शिखर सम्मेलन निर्णयों और समझौते के 'कोलंबो पैकेज' तक पहुँचा जिसमें समूह का चार्टर तैयार किया जाना भी शामिल है। औपचारिक रूप से अपनाए गए चार्टर में बिम्सटेक को 'विधिक चरित्र' के साथ 'एक अंतर-सरकारी संगठन' घोषित किया गया है।
- चार्टर में बिम्सटेक के उद्देश्यों को परिभाषित किया गया है और यह 'बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति' में गति लाने तथा 'बहुआयामी कनेक्टिविटी' को बढ़ावा देने पर मुख्य ध्यान देने के साथ 11 उद्देश्यों को सूचीबद्ध करता है।
  - यह समूह अब स्वयं को एक उप-क्षेत्रीय संगठन के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे क्षेत्रीय संगठन के रूप में देखता है जिसका भाग्य बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्र से गहन रूप से संबद्ध है।
- 'कोलंबो पैकेज' का दूसरा प्रमुख तत्व यह निर्णय रहा कि सहयोग के क्षेत्रों की संख्या को पुनर्गठित और कम कर 14 से 7 कर दिया जाए ताकि इनका प्रबंधन अधिक आसान हो। प्रत्येक सदस्य-राज्य इनमें से एक क्षेत्र का नेतृत्व करेंगे:
  - व्यापार, निवेश और विकास (बांग्लादेश)
  - पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन (भूटान)
  - सुरक्षा, ऊर्जा सहित (भारत)
  - कृषि और खाद्य सुरक्षा (म्याँमार)
  - लोगों के आपसी संपर्क (नेपाल)
  - विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (श्रीलंका)
  - कनेक्टिविटी (थाईलैंड)
- सदस्य देशों ने 'परिवहन कनेक्टिविटी के लिये मास्टर प्लान' (वर्ष 2018-2028 के लिये लागू) को भी अपनाया जो एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा प्रकल्पित और समर्थित है।
  - इसमें 126 बिलियन डॉलर के कुल निवेश वाली 264 परियोजनाएँ शामिल हैं जिनमें से 55 बिलियन डॉलर की परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है।
- पैकेज में सदस्य देशों द्वारा हस्ताक्षरित तीन नए समझौते भी शामिल हैं, जो आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता, राजनयिक अकादमियों के बीच सहयोग और कोलंबो में एक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुविधा की स्थापना से संबंधित हैं।

शिखर सम्मेलन का महत्त्व

- भारत के लिये बिम्सटेक का विशेष महत्त्व है क्योंकि बंगाल की खाड़ी क्षेत्र भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' और 'एक्ट ईस्ट' नीतियों का अभिन्न अंग है जो क्षेत्रीय एकीकरण की प्रक्रिया को तेज़ कर सकता है।

- शिखर सम्मेलन में एक चार्टर को अपनाये जाने के साथ वैश्विक अनिश्चितताओं के वर्तमान समय में 25 वर्ष पुराने इस समूह को फिर से सक्रिय करने का वादा किया गया है।
- उम्मीद है कि इससे संगठन को अधिक 'कनेक्टेड विज़न' प्रदान करने में मदद मिलेगी।
- पुनर्गठित बिम्सटेक के सात नामित स्तंभों में से 'सुरक्षा स्तंभ' का नेतृत्व भारत को देने के शिखर सम्मेलन के निर्णय ने भारत की क्षेत्रीय आकांक्षाओं को एक नया अभिविन्यास प्रदान किया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 से किसी बैठक के आयोजन में असमर्थ रहे सार्क (SAARC) से भारतीय आकांक्षाओं के लिये एक गतिरोध की स्थिति बनी रही थी।

बहुपक्षीय सहयोग को सुगम बनाने के मार्ग की बाधाएँ

- सदस्यों के बीच द्विपक्षीय मुद्दे: सदस्य देशों के बीच सहयोग की वृद्धि में एक बड़ी बाधा रोहिंग्या संकट से उत्पन्न हुई जिसने बांग्लादेश-म्याँमार द्विपक्षीय संबंधों को कमज़ोर किया है। इस विषय में जहाँ ढाका शरणार्थियों के पूर्ण प्रत्यावर्तन की मांग रखता है, वहीं नैपीदॉ (Naypyidaw) अंतर्राष्ट्रीय दलीलों पर किसी सकारात्मक प्रतिक्रिया के प्रति अनिच्छुक ही रहा है।
- आर्थिक सहयोग पर अपर्याप्त ध्यान: अधूरे कार्यों और नई चुनौतियों पर नज़र डालें तो इस समूह पर लदे ज़िम्मेदारियों के बोझ का पता चलता है।
  - वर्ष 2004 में एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के लिये फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किये जाने के बावजूद बिम्सटेक इस लक्ष्य की पूर्ति से बहुत दूर है।
  - FTA के लिये आवश्यक सात घटक समझौतों में से अब तक केवल दो ही पूरे हुए हैं।
- अधूरी परियोजनाएँ: कोलंबो घोषणा के सामान्य सूत्रीकरण से आरंभिक प्रगति की संभावनाओं के बारे में अधिक भरोसे की बहाली नहीं होती है।
  - कनेक्टिविटी के विस्तार की आवश्यकता पर वार्ताओं के बावजूद तटीय शिपिंग, सड़क परिवहन और अंतरा-क्षेत्रीय ऊर्जा ग्रिड कनेक्शन हेतु कानूनी साधनों को अंतिम रूप देने के मामले में अधिकांश कार्य अधूरा ही पड़ा हुआ है।
- BCIM की भूमिका: चीन की सक्रिय सदस्यता के साथ एक अन्य उप-क्षेत्रीय पहल- 'बांग्लादेश-चीन-भारत-म्याँमार' (BCIM) फोरम के गठन ने बिम्सटेक की विशिष्ट क्षमता के बारे में संदेहों को जन्म दिया है।

आगे की राह

- बहुपक्षीय चर्चा: घरेलू और भू-राजनीतिक घटकों की जटिलता को देखते हुए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र को निरंतर द्विपक्षीय और समूह-स्तरीय चर्चा की आवश्यकता होगी ताकि रोहिंग्या संकट जैसी समस्याओं से आर्थिक तथा सुरक्षा परिणामों के सुचारू वितरण में बाधा उत्पन्न न हो सके।
  - भारत को भी नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे भागीदारों के साथ निरंतर राजनीतिक संलग्नता सुनिश्चित करनी होगी ताकि किसी घरेलू राजनीतिक प्लवन से द्विपक्षीय एवं समूह-स्तरीय कामकाजी संबंधों पर असर न पड़े।
  - भारत और अन्य सदस्य देशों को म्याँमार की भागीदारी के प्रबंधन के विषय में भी कुछ चतुर होने की आवश्यकता होगी, जब तक कि म्याँमार में राजनीतिक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती।
- कनेक्टिविटी और सहयोग को बढ़ावा देना: समूह में व्यापर संपर्क को सुदृढ़ करने के भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिये म्याँमार और श्रीलंका जैसे समुद्री संसाधन संपन्न सदस्य देशों तक विस्तृत एक मुक्त व्यापार समझौता सभी सदस्य देशों के लिये पर्याप्त लाभ उत्पन्न कर सकता है।
  - परिवहन कनेक्टिविटी के लिये अपनाए गए मास्टर प्लान के साथ एक 'तटीय शिपिंग पारिस्थितिकी तंत्र' और एक 'इंटरकनेक्टेड बिजली ग्रिड' अंतर्क्षेत्रीय व्यापार तथा आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने की क्षमता रखता है।
  - इसके अलावा, बिम्सटेक को परियोजनाओं के समय पर कार्यान्वयन के लिये अतिरिक्त धन जुटाने और इस पर ज़ोर देने की आवश्यकता है।
- अतीत से सबक: चीनी नेतृत्व वाले RCEP जैसे बड़े व्यापारिक गुटों से दूर रहने के बाद निकट-भूभाग के क्षेत्रीय समूह के ढाँचे के भीतर एक FTA के तलाश की भारत की इच्छा बहु-पक्षीय हितों के लिये अधिक अवसर प्रदान कर सकती है।

- ‘सार्क’ के सुरक्षा और व्यापार संबंधी सबक भी दीर्घावधि में बिम्सटेक के काम आएँगे।
- भारत-पाकिस्तान शत्रुता के बोझ का शिकार रहे ‘सार्क’ के विपरीत बिम्सटेक अपेक्षाकृत तीव्र द्विपक्षीय असहमतियों से मुक्त है और भारत के लिये अपनी स्वयं की सहयोगपूर्ण क्रियाशीलता प्रदान करने का वादा करता है।

- पथ-प्रदर्शक के रूप में भारत: इस पुनर्जीवित समूह की व्यापारिक एवं आर्थिक क्षमता को साकार करने के लिये भारत को अंतरा-समूह शक्ति असंतुलन के प्रति छोटे सदस्य देशों के बीच व्याप्त किसी भी आशंका को दूर करने के लिये नेतृत्वकारी भूमिका स्वीकार करनी होगी और लोगों एवं वस्तुओं की आवाजाही की बाधाओं को कम कर वृहत सीमा-पार कनेक्टिविटी और निवेश के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने का प्रयास करना होगा।
  - उल्लेखनीय है कि संपन्न शिखर सम्मेलन में भारत एकमात्र देश था जिसने सचिवालय के लिये और एक विज़न दस्तावेज तैयार करने हेतु एक ‘प्रतिष्ठित व्यक्ति समूह’ (Eminent Persons Group- EPG) की स्थापना के महासचिव के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये अतिरिक्त धन की पेशकश की।
    - अन्य सदस्य देशों को भी बयानों और कार्रवाई के इसका अनुकरण करने की आवश्यकता है।
- फोकस के अन्य क्षेत्र: बिम्सटेक को भविष्य में ‘ब्लू इकॉनोमी’ एवं डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे नवीन क्षेत्रों और स्टार्ट-अप एवं MSMEs के बीच आदान-प्रदान तथा संबंधों को बढ़ावा देने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिये।

आपराधिक प्रक्रिया विधेयक

संदर्भ

हाल ही में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने लोकसभा में आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक [Criminal Procedure (Identification) Bill], 2022 पेश किया जो आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग से अपराध की अधिक कुशल एवं त्वरित जाँच सुनिश्चित करने का उद्देश्य रखता है।

हालाँकि इसमें बायोमीट्रिक और जैविक डेटा संग्रहण को सक्षम करने का निहित प्रस्ताव इसकी कानूनी वैधता पर गंभीर सवाल उठाता है। इसके प्रावधान आत्म-अभिशंसन के विरुद्ध संरक्षण के अधिकार (right against self-incrimination) और निजता के अधिकार (right to privacy) से टकराव तो रखते ही हैं, विधेयक में मौजूद कई बातें अति-व्यापी या पर्याप्त अस्पष्ट भी हैं।

आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक, 2022

विधेयक का उद्देश्य

- इस विधेयक का उद्देश्य ‘बंदी पहचान अधिनियम, 1920’ (Identification of Prisoners Act,1920) को प्रतिस्थापित करना है, जिसमें संशोधन का प्रस्ताव 1980 के दशक में भारत के विधि आयोग की 87वीं रिपोर्ट में और ‘उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राम बाबू मिश्र’ मामले (1980) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में किया गया था।
  - आलोचना और संशोधन की आवश्यकता मुख्य रूप से इस अधिनियम के तहत ‘माप’ (measurements) की सीमित परिभाषा के संबंध में जताई गई थी।

विधेयक के प्रावधान

- यह पुलिस और जेल अधिकारियों को रेटिना एवं आईरिस स्कैन सहित भौतिक एवं जैविक नमूनों के एकत्रीकरण, सग्रहण और विश्लेषण की अनुमति देगा।
  - इन प्रावधानों को आगे किसी भी निवारक निरोध कानून के तहत पकड़े गए व्यक्तियों पर लागू किया जाएगा।
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) भौतिक और जैविक नमूनों, हस्ताक्षर तथा हस्तलेखन डेटा के रिपॉजिटरी के रूप में कार्य करेगा जहाँ इन्हें कम से कम 75 वर्षों तक संरक्षित किया जा सकता है।
  - NCRB को किसी भी अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसी के साथ रिकॉर्ड साझा करने का भी अधिकार दिया गया है।
- यह आपराधिक मामलों में पहचान और जाँच हेतु दोषियों तथा ‘अन्य व्यक्तियों’ की ‘माप’ लेने के लिये भी अधिकृत करता है।

विधेयक का महत्त्व

- यह विधेयक उपयुक्त शरीर मापों को दर्ज करने के लिये आधुनिक तकनीकों के उपयोग का प्रावधान करता है।
  - 'बंदी पहचान अधिनियम, 1920' के रूप में मौजूद कानून सीमित श्रेणी के दोषी व्यक्तियों के केवल 'फिंगरप्रिंट' और 'फुटप्रिंट' लेने की ही अनुमति देता है।
- 'व्यक्तियों' (जिनकी माप ली जा सकती है) के दायरे का विस्तार जाँच एजेंसियों को कानूनी रूप से स्वीकार्य पर्याप्त सबूत इकट्ठा करने और आरोपी व्यक्ति के अपराध को साबित करने में मदद करेगा।
- अधिक सटीक भौतिक एवं जैविक नमूने अपराध की जाँच को अधिक कुशल व तीव्र बनाएँगे और दोषसिद्धि दर को बढ़ाने में भी मदद करेंगे।
- अपेक्षा की गई है कि यह संगठित अपराध, साइबर अपराधियों एवं आतंकियों (जो पहचान की चोरी और पहचान धोखाधड़ी में दक्ष होते हैं) के खतरे को कम करेगा। उनके द्वारा उत्पन्न गंभीर राष्ट्रीय और वैश्विक खतरों पर नियंत्रण रखने में यह विधेयक मदद कर सकेगा।

विधेयक से संबद्ध समस्याएँ

- अस्पष्ट प्रावधान: 'बंदी पहचान अधिनियम, 1920' को प्रतिस्थापित करने का लक्ष्य रखता प्रस्तावित कानून काफी हद तक इसके दायरे और पहुँच का विस्तार करता है।
  - 'जैविक नमूने' जैसे पदों का अधिक वर्णन नहीं किया गया है, इसलिये रक्त और बाल के नमूने लेने या डीएनए नमूनों के संग्रह जैसा कोई भी दैहिक हस्तक्षेप किया जा सकता है।
  - वर्तमान में ऐसे हस्तक्षेपों के लिये एक मजिस्ट्रेट की लिखित स्वीकृति की आवश्यकता होती है।
- निजता के अधिकार को कमज़ोर करना: यह विधायी प्रस्ताव न केवल अपराध के दोषी व्यक्तियों के बल्कि प्रत्येक सामान्य भारतीय नागरिक के निजता के अधिकार को कमज़ोर करता है।
  - यह विधेयक राजनीतिक विरोध से संलग्न प्रदर्शनकारियों तक के जैविक नमूने एकत्र कर सकने का प्रस्ताव करता है।
- अनुच्छेद 20 का उल्लंघन: आशंकाएँ जताई गई हैं कि विधेयक ने नमूनों के मनमाने संग्रह को सक्षम किया है और इसमें अनुच्छेद 20 (3) के उल्लंघन की क्षमता है जो आत्म-अभिशंसन के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार देता है।
  - विधेयक में जैविक सूचना के संग्रह में बल का प्रयोग निहित है, जिससे 'नार्को परीक्षण' और 'ब्रेन मैपिंग' को बढ़ावा मिल सकता है।
- डेटा का प्रबंधन: यह विधेयक 75 वर्षों के लिये रिकॉर्ड को संरक्षित करने की अनुमति देता है. अन्य चिंताओं में वे साधन शामिल हैं जिनके द्वारा एकत्र किये गए डेटा को संरक्षित, साझा, प्रसारित और नष्ट किया जाएगा।
- बंदियों के बीच जागरूकता की कमी: यद्यपि विधेयक में यह प्रावधान है कि कोई गिरफ्तार व्यक्ति (जो महिला या बच्चे के विरुद्ध अपराध का आरोपी नहीं हो) नमूने देने से इनकार कर सकता है, लेकिन जागरूकता के अभाव में सभी बंदी इस अधिकार का प्रयोग कर सकने में सफल नहीं होंगे।
  - पुलिस के लिये इस तरह के इनकार की अनदेखी करना भी अधिक कठिन नहीं होगा और बाद में वे दावा कर सकते हैं कि उन्होंने बंदी की सहमति से नमूने एकत्र किये हैं।

आगे की राह

- डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करना: गोपनीयता और डेटा की सुरक्षा से संबद्ध चिंता निस्संदेह महत्त्वपूर्ण है। व्यक्तिगत प्रकृति के महत्त्वपूर्ण विवरणों के संग्रहण, भंडारण और नष्ट करने संबंधी अभ्यास तभी शुरू हो सकेंगे जब एक सुदृढ़ डेटा संरक्षण कानून मौजूद हो जहाँ उल्लंघनों के लिये कठोर दंड का प्रावधान हो।
  - निजता का कोई भी अतिक्रमण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित संवैधानिकता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिये।
- संसद की संवीक्षा: विधेयक को न तो पूर्व-विधायी परामर्श के लिये रखा गया था और न ही संसद में इसे सत्र के विधायी एजेंडे में इंगित किया गया था। उपयुक्त होगा कि इस विधेयक के अधिनियम के रूप में लागू होने से पहले इसे गहन संवीक्षा के लिये स्थायी समिति को भेजा जाए।
- बेहतर कार्यान्वयन: कानून प्रवर्तन एजेंसियों को नवीनतम तकनीकों के उपयोग से वंचित करना अपराध के शिकार लोगों और वृहत रूप से राष्ट्र के प्रति गंभीर अपकार या क्षति की स्थिति होगी। लेकिन बेहतर संवीक्षा और डेटा संरक्षण कानून के अलावा कानून के बेहतर क्रियान्वयन के लिये भी उपाय किये जाने की ज़रूरत है।

नोट :

- आवश्यकता यह है कि अपराध स्थल से 'माप' एकत्र करने के लिये विशेषज्ञों की संख्या में वृद्धि हो और उनके विश्लेषण के लिये फोरेंसिक प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाई जाए ताकि आपराधिक मामले में शामिल संभावित अभियुक्तों की पहचान करना सुगम हो सके।
- जाँच अधिकारियों, अभियोजकों, न्यायिक अधिकारियों आदि के प्रशिक्षण और चिकित्सकों एवं फोरेंसिक विशेषज्ञों के अधिकाधिक सहयोग को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

भारत-ऑस्ट्रेलिया ECTA

संदर्भ

भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक ऐतिहासिक अंतरिम 'आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते' (INDAUS ECTA) पर हस्ताक्षर किये हैं जो वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण क्षेत्र में भारत के निर्यात को बढ़ावा देगा।

भारत के लिये ऑस्ट्रेलिया के साथ ECTA एक दशक से अधिक समय के बाद विश्व की किसी बड़ी विकसित अर्थव्यवस्था के साथ संपन्न हुआ पहला समझौता है। जापान और दक्षिण कोरिया के बाद ऑस्ट्रेलिया तीसरा OECD देश भी है जिसके साथ भारत ने 'मुक्त व्यापार समझौते' (FTA) पर हस्ताक्षर किये हैं।

आगे दोनों पक्ष एक पूर्ण 'व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते' (CECA) के लिये वार्तारत होंगे।

INDAUS ECTA

- इसमें लगभग वे सभी टैरिफ लाइनें शामिल होंगी जिनसे भारत और ऑस्ट्रेलिया रु-ब-रु होते हैं।
  - भारत को ऑस्ट्रेलिया द्वारा उसकी 100% टैरिफ लाइनों पर प्रदान की जाने वाली तरजीही बाज़ार पहुँच (preferential market access) से लाभ होगा।
  - भारत अपनी 70% से अधिक टैरिफ लाइनों पर ऑस्ट्रेलिया को तरजीही पहुँच प्रदान करेगा।
- समझौते के तहत 'STEM' (Science, Technology, Engineering and Mathematics) में स्नातक भारतीय छात्रों को विस्तारित 'पोस्ट-स्टडी वर्क वीज़ा' प्रदान किया जाएगा।
- यह ऑस्ट्रेलिया में भारत के निर्यात के 96% भाग को ज़ीरो ड्यूटी एक्सेस (zero-duty access) प्रदान करेगा और ऑस्ट्रेलिया के निर्यात के लगभग 85% को भारतीय बाज़ार में ज़ीरो ड्यूटी एक्सेस प्रदान करेगा।
- सरकार के एक अनुमान के अनुसार, यह वस्तुओं एवं सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार को पाँच वर्षों में लगभग 27 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 45-50 बिलियन अमेरिकी डॉलर कर देगा और भारत में दस लाख से अधिक नौकरियों का सृजन करेगा।

समझौते का महत्त्व

- निर्यात में वृद्धि: वर्तमान में भारतीय निर्यात को कई श्रम-गहन क्षेत्रों में चीन, थाईलैंड, वियतनाम, दक्षिण कोरिया, जापान, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे ऑस्ट्रेलियाई बाज़ार में मौजूद प्रतिस्पर्द्धियों की तुलना में 4-5% के टैरिफ क्षति का सामना करना पड़ता है।
  - ECTA के तहत इन बाधाओं को दूर करने से भारत के व्यापारिक निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।
- सस्ता कच्चा माल: ऑस्ट्रेलिया द्वारा भारत को होने वाले निर्यात में कच्चे माल और मध्यवर्ती उत्पादों की अधिकता है। ऑस्ट्रेलिया के 85% उत्पादों पर ज़ीरो ड्यूटी एक्सेस के कारण भारत में कई उद्योगों को सस्ता कच्चा माल मिल सकेगा और इस तरह वे विशेषकर इस्पात, एल्यूमीनियम, बिजली, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में अधिक प्रतिस्पर्द्धी बन पाएँगे।
- भारत के संबंध में धारणाओं में परिवर्तन: संपन्न हुआ व्यापार समझौता विकसित विश्व की धारणाओं को बदलने में भी मदद करेगा जहाँ हमेशा भारत को 'संरक्षणवादी' के रूप में रूढ़ किया जाता है और यह विश्व के साथ व्यापार के विषय में भारत के खुलेपन के बारे में संदेह को दूर करेगा।
  - मज़बूत 'इंडो-पैसिफिक': मज़बूत ऑस्ट्रेलिया-भारत आर्थिक संबंध एक मज़बूत 'इंडो-पैसिफिक' या हिंद-प्रशांत आर्थिक संरचना का मार्ग प्रशस्त करेगा, जो देशों और उप-क्षेत्रों के बीच केवल भौतिक वस्तुओं, धन और लोगों के प्रवाह पर आधारित नहीं होगी, बल्कि निर्माण क्षमता से प्रेरित संपर्कों, संपूरकताओं, सतत् प्रतिबद्धताओं और परस्पर निर्भरताओं पर भी आधारित होगी।

निवेश संरक्षण पर दोनों देशों का दृष्टिकोण

जबकि ECTA सेवाओं में व्यापार के हिस्से के रूप में निवेश का संदर्भ देता है, इसमें निवेश संरक्षण पर प्रावधानों (जैसे सबसे पसंदीदा राष्ट्र को विदेशी निवेश प्रदान करना एवं राष्ट्रीय संव्यवहार का लाभ, स्वामित्व हरण से सुरक्षा, विदेशी निवेश के लिये उचित एवं न्यायसंगत उपचार प्रदान करने का आश्वासन, कथित संधि उल्लंघनों के लिये राज्य के विरुद्ध दावे करने के विदेशी निवेशक के अधिकार को मान्यता देना) का अभाव है।

- ECTA का अनुच्छेद 14.5, जिसमें उन विषयों की सूची शामिल है जिन पर अंतरिम ECTA को एक व्यापक CECA में बदलने के लिये बातचीत होगी, निवेश सुरक्षा पर किसी अध्याय की चर्चा नहीं करता है।
- उल्लेखनीय है कि ऑस्ट्रेलिया ने पेरू, इंडोनेशिया और हॉन्गकॉन्ग के साथ व्यापक आर्थिक समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं जिनमें निवेश संरक्षण पर एक अध्याय शामिल है।
  - इधर दूसरी ओर, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात और इससे पहले वर्ष 2021 में मॉरीशस के साथ संपन्न हुए भारत के CECA में निवेश अध्याय शामिल नहीं है।
  - प्रतीत होता है कि भारत CECA में निवेश संरक्षण अध्याय को शामिल करने के लिये अधिक इच्छुक नहीं है।

समझौते में निवेश को शामिल नहीं करने का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

- भारत ने इन देशों के साथ एक व्यापक आर्थिक समझौते पर हस्ताक्षर इसलिये किये हैं क्योंकि वह वैश्विक मूल्य शृंखला (Global Value Chains- GVCs) का अंग बनना चाहता है। उल्लेखनीय है कि व्यापार और विदेशी निवेश, दोनों ही GVCs में अत्यंत प्रमुखता रखते हैं।
  - इस प्रकार, इन CECAs में निवेश से व्यापार को अलग रखना आर्थिक दूरदर्शिता की अवहेलना है।
  - क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) और वृहद एवं प्रगतिशील ट्रांस-पैसिफिक भागीदारी (CPTPP) जैसी हाल की कई वृहत आर्थिक संधियों में निवेश संरक्षण पर अध्याय शामिल हैं।

आगे की राह

- निवेश संरक्षण: अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत निवेश संरक्षण पर भारत का अत्यधिक रक्षात्मक रुख BITs के अंतर्गत विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय दावों का परिणाम है।
  - भारत को अपने खोल से बाहर आना चाहिये और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपनी व्यापक आर्थिक प्रतिबद्धताओं के एक हिस्से के रूप में निवेश संरक्षण को स्वीकार करना चाहिये। यह भारत को इन व्यापक आर्थिक सहयोग समझौतों का पूर्ण लाभ उठा सकने में सक्षम बनाएगा।
- निवेश अध्याय शामिल करना: यदि निवेश संरक्षण को ऐसे CECAs का हिस्सा बनाया जाता है तो भारत के पास एक स्टैंडअलोन निवेश संधि की तुलना में संतुलित निवेश अध्यायों पर बातचीत कर सकने के लिये बेहतर सौदेबाजी शक्ति प्राप्त होगी।
  - जब कई संबंधित मुद्दे एक ही सौदे का हिस्सा होते हैं तो 'लेन-देन' और परस्पर-लाभ की स्थिति तक पहुँचने की अधिक संभावना होती है।
- प्रतिस्पर्द्धा में सुधार: जबकि भारत सरकार ने व्यवसायों के लिये एक उत्कृष्ट व्यापार सौदे पर सफलतापूर्वक बातचीत की है, यह समझना भी महत्त्वपूर्ण है कि ऑस्ट्रेलियाई बाज़ार तक पहुँच इतनी आसान नहीं होगी जब ऑस्ट्रेलिया वर्तमान में 16 मुक्त व्यापार समझौतों का कार्यान्वयन कर रहा है।
  - इसका अर्थ यह है कि हमें अभी भी अपनी प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार पर कार्य जारी रखना होगा, क्योंकि अधिकांश व्यापार क्षेत्रों में भारत को चीन, आसियान, चिली, जापान, कोरिया और न्यूज़ीलैंड के साथ प्रतिस्पर्द्धा करनी है जो पहले से ही ऑस्ट्रेलिया के साथ FTAs रखते हैं।
- APEC साझेदारी: यह भारत की एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) सदस्यता के लिये भी उपयुक्त समय है। APEC में विश्व की सबसे तेज़ी से विकास करती प्रमुख अर्थव्यवस्था की उपस्थिति के बिना एक स्वतंत्र और खुले 'इंडो-पैसिफिक' का लक्ष्य अधूरा ही रहेगा।

- इस सदस्यता से वैश्विक व्यवस्था में भारत की भूमिका की और वृद्धि होगी, घरेलू प्रतिस्पर्द्धा में सुधार के साथ वृहत आर्थिक सुधारों को प्रोत्साहन मिलेगा और समग्र रूप से इस क्षेत्र के साथ आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होगी।
- ऑस्ट्रेलिया-भारत द्विपक्षीय संबंधों के गहन होने के साथ ऑस्ट्रेलिया भारत की सदस्यता के लिये APEC के अंदर एक समर्थन लॉबी तैयार करने में भी मदद कर सकता है।

प्रवासियों का समर्थन

संदर्भ

देशव्यापी लॉकडाउन के परिदृश्य में भूख, थकावट और हिंसा का सामना करते सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल अपने गाँव-घरों को लौटते प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा पर देश हैरान रह गया था।

प्रवासियों की विकट परिस्थितियों को देखते हुए ही सरकारों और नागरिक समाज द्वारा समान रूप से उन पर विशेष ध्यान रखते हुए बड़े पैमाने पर राहत अभियान चलाए गए।

'वन नेशन वन राशन कार्ड' (ONORC) परियोजना का विस्तार और एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्पलेक्सेज़ (Affordable Rental Housing Complexes- ARHC) योजना के साथ ही ई- श्रम पोर्टल की शुरूआत ने आशा की नई किरण जगाई। हालाँकि प्रवासियों की कथा अभी भी भारत में संकट की गाथा बनी हुई है।

प्रवासन और प्रवासी

महत्त्व

- प्रवासन कुशल श्रम, अकुशल श्रम और सस्ते श्रम की दक्षतापूर्ण उपलब्धता के साथ श्रम की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतराल को भरता है।
- यह बाहरी दुनिया के साथ संपर्क और अंत:क्रिया के माध्यम से प्रवासियों के ज्ञान एवं कौशल की वृद्धि करता है।
- यह रोज़गार और आर्थिक समृद्धि की संभावनाओं को भी बढ़ाता है जो बदले में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाता है।
- प्रवासियों की आर्थिक सेहत उद्गम क्षेत्रों में परिवारों को जोखिम के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है और उपभोक्ता व्यय तथा स्वास्थ्य, शिक्षा एवं परिसंपत्ति सृजन में निवेश की वृद्धि करती है।

प्रवासी श्रमिकों की वर्तमान स्थिति

- वर्तमान में देश का एक तिहाई कार्यबल गतिशील है। भारत में प्रवासी श्रमिक विनिर्माण, निर्माण, आतिथ्य, लॉजिस्टिक्स और वाणिज्यिक कृषि जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों को ऊर्जा प्रदान करते हैं।
- वर्ष 1991 के बाद से लगभग 300 मिलियन भारतीयों के गरीबी उन्मूलन (जो कृषि कार्य से पलायन/प्रवासन से प्रेरित रहा था) की उपलब्धि पर कोविड-19 ने पानी फेर दिया है।
- बार-बार किये गए सर्वेक्षणों में पाया गया है कि शहरों की ओर पुन: लौटने के बाद भी प्रवासी श्रमिक परिवारों की आय महामारी-पूर्व के स्तर से निम्न बनी हुई है। प्रवासियों को कम कार्य मिल रहा है और उनके बच्चे कम आहार प्राप्त कर रहे हैं।

प्रवासियों के लिये नीति परिदृश्य

- नीतिगत विमर्श में प्रवासियों को वापस लाने के स्पष्ट आर्थिक और मानवीय तर्क के बावजूद, वर्तमान नीति परिदृश्य खंडित और बदतर स्थिति में ही है।
- हाल ही में नीति आयोग ने अधिकारियों और नागरिक समाज के सदस्यों के एक कार्यकारी उपसमूह के साथ राष्ट्रीय प्रवासी श्रम नीति (National Migrant Labour policy) का मसौदा तैयार किया है।
- मसौदे में प्रवासन को विकास प्रक्रिया के एक अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार करने की अनुशंसा की गई है और कहा गया है कि सरकारी नीतियों को बाधाकारी नहीं बनना चाहिये बल्कि आंतरिक प्रवास को सुविधाजनक बनाने की कोशिश करनी चाहिये।

प्रवासन नीति की गति को कौन से कारक धीमा कर रहे हैं?

- राजनीतिकरण: भारत में प्रवासन एक अत्यधिक राजनीतिकृत परिघटना है जहाँ राज्य प्रवासन की राजनीतिक अर्थव्यवस्था से अत्यधिक प्रभावित हैं।
  - 'गंतव्य राज्य' (Destination States) आर्थिक आवश्यकताओं (जहाँ प्रवासी श्रम की आवश्यकता होती है) और राजनीतिक आवश्यकताओं (जहाँ रोज़गार और सामाजिक सुरक्षा पर अधिवास प्रतिबंध लगाने की स्थानीयतावादी या 'नेटिविस्ट' नीतियों को प्रश्रय दिया जाता है) के बीच एक तनाव का अनुभव करते हैं।
  - हालाँकि 'प्रेषक राज्य' (Sending States) 'अपने लोगों' की सेवा करने के लिये अत्यधिक प्रेरित होते हैं क्योंकि वे अपने स्रोत गाँवों में मतदान करते हैं।
  - आंतरिक प्रवास के प्रति नीति राज्य-विशिष्ट गणनाओं से प्रभावित होती है कि प्रवासियों के लिये वित्तीय और प्रशासनिक संसाधनों का निवेश करने से किस राजनीतिक लाभ (या हानि) की स्थिति बनेगी।
- प्रवासियों की गलत पहचान: प्रवासी दो बड़ी श्रेणियों के अंतर्गत शामिल हैं जो लंबे समय से नीति-निर्माताओं के लिये कठिनाई का कारण रही हैं: असंगठित श्रमिक और शहरी गरीब। यहाँ तक कि ई-श्रम पोर्टल भी प्रवासियों की सही पहचान करने और उन्हें लक्षित करने में असमर्थ रहा है।
  - प्रमुख शहरी गंतव्यों में नीतिगत हस्तक्षेप शहरी गरीबों और निम्न-आय वाले प्रवासियों के बीच अंतर करने में भ्रमित बना रहा है।
  - इस परिदृश्य में प्रवासी संबंधी चिंताओं को संबोधित करने के लिये गंदी बस्ती विकास या 'स्लम डेवलपमेंट' ही प्राथमिक माध्यम बना रहा है, जबकि वास्तव में अधिकांश प्रवासी अपने कार्यस्थलों पर ही निवास करते हैं जो नीति दृष्टिकोण से पूरी तरह ओझल बने हुए हैं।
- प्रवासन के संबंध में आधिकारिक डेटासेट्स की विफलता: भारत में आंतरिक प्रवास के वास्तविक पैमाने और आवृत्ति को दर्ज करने में आधिकारिक डेटासेट्स विफल रहे हैं (इस बात को अब स्वीकार भी किया जाता है) जो प्रवासन नीति पर विमर्श को स्पष्ट रूप से गतिहीन बनाते हैं।
  - केवल एक ही स्थानिक जगह को समय-समय पर रिकॉर्ड करने के लिये डिज़ाइन किये गए डेटा सिस्टम ने बहु-स्थानीय प्रवासी परिवारों से संबद्ध 500 मिलियन लोगों हेतु कल्याण वितरण के लिये बड़ी चुनौतियाँ पेश कर रखी हैं।
  - कोविड-19 महामारी ने प्रवासी माता-पिता के साथ आने वाले बच्चों की शिक्षा एवं उनका टीकाकरण या विभिन्न स्थानों पर प्रवासी महिलाओं के लिये मातृत्व लाभ सुनिश्चित कर सकने जैसी समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया है।

आगे की राह

- केंद्र की भूमिका: यदि केंद्र रणनीतिक नीति-मार्गदर्शन और अंतर-राज्य समन्वय के लिये एक मंच प्रदान कर सक्रिय भूमिका निभाए तो प्रवासियों के हितों की पूर्ति हो सकेगी।
- राज्य-स्तरीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था की बाधाओं के संदर्भ में 'गंतव्य राज्यों' में अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिकों के मुद्दों को संबोधित करने में केंद्र की भूमिका विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हो जाती है।
- प्रवासन नीति को लागू करना: एक ऐसे समय, जब आर्थिक सुधार और समावेशी विकास अति आवश्यक नीतिगत लक्ष्य के रूप में कार्यान्वित हैं, प्रवासन नीति के संबंध में देरी करना उपयुक्त नहीं होगा।
  - नीति आयोग की प्रवासी श्रमिकों पर मसौदा नीति नीतिगत प्राथमिकताओं को स्पष्ट करने और उपयुक्त संस्थागत ढाँचे का संकेत देने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है और इसे शीघ्र ही प्रवर्तित किया जाना चाहिये।
  - स्थान पर विचार किये बिना प्रवासियों को सुरक्षा जाल प्रदान करने और इसके साथ ही सुरक्षित एवं किफायती रूप से प्रवास कर सकने की उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिये की गई रणनीतिक पहलें प्रवासी-सहायक नीति की गति को बनाए रखने में भी योगदान करें।
- प्रवासियों को मान्यता देना: भारत की शहरी आबादी के अंग के रूप में चक्रीय प्रवासियों को मान्यता देना अधिकारियों पर कम से कम इस बात पर विचार करने के लिये दबाव रखेगा कि प्रस्तावित नीतियाँ इन समुदायों को कैसे प्रभावित कर सकती हैं।
- महिला प्रवासी: विशेष उपायों को खासकर प्रवासी महिलाओं की स्थिति को भी ध्यान में रखना चाहिये, जो मुख्य रूप से घरेलू कार्यों में संलग्न होती हैं।

- यद्यपि नई नीति का उद्देश्य सभी प्रकार के हाशिए पर स्थित प्रवासियों का समावेशन करना है, इसमें घरेलू कामगारों के समक्ष विद्यमान चुनौतियों को स्पष्ट रूप से संबोधित किया जाना चाहिये।
- उनका बहिर्वेशित बने रहना बहुत आसान होगा क्योंकि भारत ने 'घरेलू कामगारों पर ILO कन्वेंशन' की पुष्टि नहीं की है और 'घरेलू कामगार विधेयक 2017' अभी तक अधिनियम नहीं बन पाया है।

न्यायसंगत विकास

संदर्भ

कोविड-19 महामारी ने उन असमान और असंवहनीय प्रणालियों को उजागर कर दिया है जिनमें दुनिया भर के लोग रहने एवं कार्य करने, उपभोग एवं अस्तित्व के लिये विवश हैं। दूसरी ओर, महामारी ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि यदि निर्णयन की प्रक्रिया पारदर्शी, साक्ष्य-आधारित और समावेशी हो तो लोग उन साहसिक तथा दूरगामी नीतियों का समर्थन करने की प्रवृत्ति रखते हैं जो उनके स्वास्थ्य, परिवारों और आजीविका की सुरक्षा करती हों।

विश्व अभी एक निर्णायक चरण में है। हम अभी जो निर्णय लेंगे, उस पर निर्भर करेगा कि विकास पैटर्न अवरुद्ध हो जाए—जो पारिस्थितिक तंत्र को स्थायी रूप से और लगातार क्षति पहुँचाएगा अथवा एक स्वस्थ, निष्पक्ष और हरित दुनिया को प्रोत्साहन देगा। आवश्यकता यह है कि हम सामूहिक रूप से अपनी आवाज उठाएँ और अपने ग्रह, स्वास्थ्य तथा भविष्य की रक्षा के लिये सक्रिय प्रतिक्रिया दें।

न्यायसंगत विकास (Equitable Development) से कैसे समझौता किया जा रहा है?

- खराब वायु गुणवत्ता: वैश्विक स्तर पर 90% लोग अस्वास्थ्यकर हवा में साँस लेने को विवश हैं जिसके परिणामस्वरूप हर साल लगभग 70 लाख लोगों की मौत होती है।
  - वैश्विक स्तर पर बाह्य वायु प्रदूषण से दो-तिहाई जोखिम या एक्सपोज़र उन्हीं जीवाश्म ईंधनों के दहन का परिणाम है जो जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा दे रहे हैं और अनुमान है कि ये वर्ष 2030 से 2050 के बीच प्रति वर्ष 250,000 अतिरिक्त मौतों का कारण बन सकते हैं।
- असंवहनीय खाद्य प्रणालियाँ: असुरक्षित, अस्वस्थकर और असंवहनीय खाद्य प्रणालियाँ प्रति वर्ष लाखों अकाल मृत्यु का कारण बनती हैं (मुख्य रूप से गैर-संचारी रोगों के कारण) और ये जलवायु परिवर्तन एवं रोगाणुरोधी प्रतिरोध में प्रमुख योगदानकर्ता हैं जो मानव प्रजाति के समक्ष विद्यमान सबसे बड़े स्वास्थ्य जोखिमों में से दो प्रमुख जोखिम हैं.
  - अपर्याप्त जल और स्वच्छता सुविधाएँ: वर्ष 2020 में वैश्विक स्तर पर चार में से एक व्यक्ति के पास सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल की कमी थी और अल्प-विकसित देशों में केवल 50% स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं द्वारा बुनियादी जल सेवाएँ प्रदान की जा रही थीं।
    - खराब गुणवत्ता का पेयजल गंभीर जलजनित रोगों को जन्म दे सकता है और आर्सेनिक जैसे जहरीले रसायनों के संपर्क में आने का जोखिम पैदा करता है।
    - जल, साफ-सफाई और स्वच्छता (Water, Sanitation and Hygiene- WASH) तक अपर्याप्त पहुँच स्वास्थ्य देखभाल को कम प्रभावी बनाती है और इसका महिलाओं एवं बालिकाओं पर बेहद प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
  - पर्यावरण संबंधी चिंताएँ: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का अनुमान है कि हर साल 13 मिलियन से अधिक मौतें परिहार्य पर्यावरणीय कारणों से होती हैं। यह बेहद चिंताजनक आँकड़ा है और हम इस परिदृश्य के प्रति मूक नहीं बने रह सकते।
    - इसमें जलवायु संकट भी शामिल है जो मानव जाति के समक्ष विद्यमान सबसे बड़ा स्वास्थ्य खतरा है।
- गरीबी और बेरोज़गारी: अर्थव्यवस्था का वर्तमान प्रारूप आय, धन और शक्ति के असमान वितरण की ओर ले जाता है जहाँ बहुत से लोग अभी भी गरीबी, बेरोज़गारी और अस्थिरता की स्थिति में जीने को विवश हैं।
  - 'सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी' (CMIE) के आँकड़ों के अनुसार दिसंबर 2021 में भारत की बेरोज़गारी दर 7.9% के स्तर तक पहुँच गई थी।

हम न्यायपूर्ण और संवहनीय/संधारणीय विकास कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं?

- स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना: दीर्घावधिक निवेश, कल्याण बजट, सामाजिक सुरक्षा, कानूनी एवं वित्तीय रणनीतियों आदि के माध्यम से वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों के लिये न्यायपूर्ण स्वास्थ्य को प्राथमिकता देकर हम 'कल्याणकारी समाज' का निर्माण कर सकते हैं जो मानव उत्कर्ष को सुगम बनाएगा तथा पारिस्थितिक सीमाओं का अतिक्रमण बिना प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य और विकास के अधिकार की पुष्टि करेगा।

- ◆ हमारा लक्ष्य एक ऐसे भूभाग और विश्व का निर्माण होना चाहिये जहाँ सभी के लिये स्वच्छ हवा, जल और भोजन उपलब्ध हो, जहाँ अर्थव्यवस्थाएँ शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देती हों, जहाँ शहर रहने योग्य हों तथा जहाँ लोगों का अपने स्वास्थ्य पर और ग्रह पर नियंत्रण हो।
- प्रकृति की रक्षा और संरक्षण: ऐसी नीतियाँ, जो वनों की कटाई पर अंकुश रखें, वनीकरण को बढ़ावा दें और गहन एवं प्रदूषणकारी कृषि अभ्यासों को समाप्त करें, वायु गुणवत्ता में सुधार लाने, खाद्य प्रणालियों को सुदृढ़ करने और संवहनीय खेती एवं वन प्रबंधन को बढ़ावा देने में योगदान कर सकती हैं।
    - ◆ वे उभरते संक्रामक रोगों के जोखिम को कम कर सकती हैं जिनमें से 60% से अधिक पशुजनित होते हैं।
- आवश्यक सेवाओं में निवेश: प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्तर पर पहुँच बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित रखने के साथ देशों को बहु-क्षेत्रीय जल सुरक्षा योजनाओं (WASH सहित) को प्रासंगिक स्वास्थ्य नीतियों, रणनीतियों और कार्यक्रमों में लागू कर पेयजल आपूर्ति की रक्षा करना जारी रखना चाहिये।
    - ◆ देशों को जलवायु-प्रत्यास्थी स्वास्थ्य सुविधाओं का निर्माण भी जारी रखना चाहिये जो न केवल पर्यावरणीय स्वास्थ्य खतरों का सामना कर सकें और उसपर उपयुक्त प्रतिक्रिया दे सकें, बल्कि पर्यावरणीय रूप से संवहनीय अभ्यासों को भी बढ़ावा दें।
- शिक्षा में निवेश: कुशल श्रमिकों और उच्च-तकनीक नौकरियों की एक स्वस्थ मांग भारत के विकास के लिये वृहत अवसर प्रदान करेगी, लेकिन भारत इस अवसर का लाभ तभी उठा सकता है जब भारतीयों के पास आवश्यक ज्ञान और कौशल हो।
    - ◆ देश ने बुनियादी शिक्षा में नामांकन के मामले में अभूतपूर्व प्रगति की है लेकिन शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाने और छात्रों में आवश्यक कौशल के प्रसार की सुनिश्चितता के लिये अभी कार्य किया जाना शेष है।
- ऊर्जा संक्रमण: जबकि विश्व नवीकरणीय उर्जा स्रोतों के विस्तार की दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है, इस दिशा में और प्रयासों की आवश्यकता है। इसके साथ ही वायु गुणवत्ता मानकों के कठोर प्रवर्तन के साथ-साथ सार्वजनिक परिवहन अवसंरचना में निवेश की वृद्धि की जानी चाहिये।
- स्वस्थ और संवहनीय खाद्य प्रणालियों को बढ़ावा देना: भोजन तक पहुँच की कमी या अस्वास्थ्यकर, उच्च कैलोरी आहार के उपभोग के कारण होने वाली बीमारियाँ गैर-संचारी रोगों में प्रमुख योगदानकर्ता हैं।
    - ◆ WHO एवं संबंधित अंतर सरकारी निकाय और विभिन्न देश मिलकर उच्च प्रभाव और लागत प्रभावी 'सर्वश्रेष्ठ खरीद' की पहचान और कार्यान्वयन कर सकते हैं जो फूड रिफ़ॉर्मूलेशन व लेबलिंग से लेकर अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों एवं पेय पदार्थों पर कराधान की वृद्धि और विशेष रूप से बच्चों के लिये इसके विपणन पर प्रतिबंध तक खाय वातावरण को रूपांतरित करेगा।
- स्वस्थ, रहने योग्य शहरों का निर्माण: इस संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन की 'स्वास्थ्य और कल्याण के लिये शहरी शासन पहल' (WHO Urban Governance for Health and Well-Being initiative), जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य असमानताओं को दूर करने के लिये देश की क्षमताओं को मज़बूत करना है, महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
    - ◆ नीति निर्माता ग्रीनहाउस उत्सर्जन एवं सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिये साइकिल मार्गों का विस्तार कर सकते हैं और हरित एवं स्वस्थ स्थानों के प्रावधान को बढ़ावा दे सकते हैं। यह शारीरिक गतिविधियों और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में योगदान कर सकता है।
- लैंगिक समानता के रूप में सामाजिक परिवर्तन लाना: आज भारतीय महिलाएँ पहले की तुलना में अधिक स्वस्थ और बेहतर शिक्षित हैं, लेकिन लैंगिक मानदंडों के कारण उनकी श्रम शक्ति भागीदारी दर दुनिया में सबसे कम (लगभग 25%) में से एक है और वस्तुत: इसमें गिरावट ही आ रही है।
    - ◆ लैंगिक असमानता शिक्षित, ऊर्जावान महिलाओं को भारतीय अर्थव्यवस्था के निर्माण में योगदान से अवरुद्ध कर रही है। उन्हें रोज़गार अवसर और बेहतर एवं सुरक्षित परिवहन सुविधाएँ प्रदान कर इस प्रवृत्तियों में उत्क्रमण न केवल महिलाओं को सशक्त बनाएगा बल्कि देश के लिये भी वृहत अवसर के द्वार खोलेगा।

भारत-नेपाल संबंधों की बहाली

संदर्भ

नेपाल के प्रधानमंत्री ने जुलाई 2021 में शपथ लेने के बाद अपनी विदेश यात्राओं की शुरुआत भारत के दौरे के साथ की। दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी परियोजनाओं के आरंभ और समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर के संदर्भ में यह एक सफल दौरा रहा।

हालाँकि दोनों देशों के बीच संबंधों में अभी भी तनाव के कुछ घटक मौजूद हैं, जिनमें से चीन प्रमुख है। भारत को अपनी 'नेवरहुड फर्स्ट' नीति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये द्विपक्षीय संवाद, मज़बूत आर्थिक संबंध और नेपाल के लोगों के प्रति अधिक संवेदनशीलता रखने जैसी राहों पर आगे बढ़ना होगा।

भारत-नेपाल संबंध

- वर्ष 1950 की 'भारत-नेपाल शांति और मित्रता संधि' दोनों देशों के बीच मौजूद विशेष संबंधों का आधार रही है।
- नेपाल भारत का एक महत्त्वपूर्ण पड़ोसी है और सदियों से चले आ रहे भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संपर्कों/संबंधों के कारण उसकी विदेश नीति में विशेष महत्त्व रखता है।
- भारत और नेपाल हिंदू धर्म एवं बौद्ध धर्म के संदर्भ में भी एक आत्मीय संबंध रखते हैं। उल्लेखनीय है कि नेपाल की 80 प्रतिशत आबादी हिंदू धर्म का पालन करती है और बुद्ध का जन्मस्थान लुंबिनी वर्तमान नेपाल में स्थित है।
- हाल के वर्षों में नेपाल के साथ भारत के संबंधों में कुछ गिरावट आई है। वर्ष 2015 में दोनों देशों के संबंधों में तब तनाव आया जब पहले तो भारत पर नेपाली संविधान प्रारूपण प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया गया और फिर एक 'अनौपचारिक नाकाबंदी' के लिये भारत को दोषी ठहराया गया। इन घटनाक्रमों ने भारत के विरुद्ध नेपाली जनमानस में व्यापक आक्रोश उत्पन्न किया।

नेपाली प्रधानमंत्री के भारत दौरे की मुख्य बातें

- जयनगर (बिहार) से कुर्था (नेपाल) तक 35 किलोमीटर की सीमा-पार रेल लिंक का परिचालन शुरू करना जिसे आगे बिजलपुरा और बरदीबास तक बढ़ाया जाएगा।
- एक अन्य परियोजना में भारतीय सीमा के निकट स्थित टीला (सोलुखुम्बु) को मिर्चैया (सिराहा) से जोड़ने वाली 90 किमी. लंबी 132 केवी डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन शामिल है।
- इसके अतिरिक्त, रेलवे क्षेत्र में नेपाल को तकनीकी सहयोग प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में नेपाल की सदस्यता के समर्थन और पेट्रोलियम उत्पादों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन के बीच साझेदारी जैसे विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए।
- भारत ने बिजली क्षेत्र में संभावनाओं का पूर्ण लाभ उठा सकने का भी आह्वान किया है जिसके अंतर्गत नेपाल में बिजली उत्पादन परियोजनाओं के संयुक्त विकास और सीमा-पार पारेषण अवसंरचना के निर्माण जैसे विचार शामिल हैं।

नेपाल पर चीन का प्रभाव

- चीन नेपाल को अपने बढ़ते दक्षिण एशियाई फुटप्रिंट में एक महत्त्वपूर्ण तत्व की तरह देखता है और नेपाल उसके 'बेल्ट एंड रोड पहल' (BRI) का एक प्रमुख भागीदार भी है।
- वर्ष 2016 में नेपाल ने चीन के साथ एक पारगमन परिवहन समझौते (Agreement on Transit Transportation) पर वार्ता की थी और वर्ष 2017 में चीन ने नेपाल को 32 मिलियन डॉलर का सैन्य अनुदान प्रदान किया था।
- वर्ष 2019 में संपन्न हुए एक प्रोटोकॉल के तहत चीन नेपाल को चार समुद्री बंदरगाहों और तीन भूमि बंदरगाहों तक पहुँच प्रदान कर रहा है। चीन नेपाल के पोखरा और लुंबिनी में हवाईअड्डा विस्तार परियोजनाओं से भी संलग्न है।
- 120 मिलियन डॉलर की वार्षिक विकास सहायता के साथ चीन ने नेपाल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के सबसे बड़े स्रोत के रूप में भारत को पीछे छोड़ दिया है।
- हाल में नेपाल के प्रधानमंत्री ने पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना (अमेरिका के 'मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन' के साथ) की पुष्टि पर ज़ोर दिया जिस पर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हुआ और वृहत सोशल मीडिया अभियान चलाए गए जिसे चीन ने हवा दी।

- यद्यपि चीन के विदेश मंत्री ने अपने भारतीय समकक्ष को आश्वासन दिया है कि चीन भारत के साथ नेपाल के संबंध में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, वास्तव में नेपाल में चीन की संलग्नता अत्यंत गहरी रही है।

भारत-नेपाल संबंधों में व्याप्त समस्याएँ

- शांति और मित्रता संधि में निहित समस्याएँ: वर्ष 1950 में भारत-नेपाल शांति और मित्रता संधि पर हस्ताक्षर नेपाल द्वारा इस उद्देश्य से किये गए थे कि ब्रिटिश भारत के साथ उसके विशेष संबंध स्वतंत्र भारत के साथ भी जारी रहें और उन्हें भारत के साथ खुली सीमा तथा भारत में कार्य कर सकने के अधिकार का लाभ मिलता रहे।
  - लेकिन वर्तमान में इसे एक असमान संबंध और एक भारतीय अधिरोपण के रूप में देखा जाता है।
  - इसे संशोधित और अद्यतन करने का विचार 1990 के दशक के मध्य से ही संयुक्त वक्तव्यों में प्रकट होता रहा है, लेकिन ऐसा छिटपुट और उत्साहहीन तरीके से ही हुआ।
- विमुद्रीकरण की अड़चन: नवंबर 2016 में भारत ने विमुद्रीकरण की घोषणा कर दी और उच्च मूल्य के करेंसी नोट (₹1,000 और ₹500) के रूप में 15.44 ट्रिलियन रुपए वापस ले लिये। इनमें से 15.3 ट्रिलियन रुपए की नए नोटों के रूप में अर्थव्यवस्था में वापसी भी हो गई है।
  - नेपाल राष्ट्र बैंक (नेपाल का केंद्रीय बैंक) के पास 7 करोड़ भारतीय रुपए हैं और अनुमान है कि सार्वजनिक धारिता 500 करोड़ रुपए की है।
  - नेपाल राष्ट्र बैंक के पास विमुद्रीकृत बिलों को स्वीकार करने से भारत के इनकार और एमिनेंट पर्सन्स ग्रुप (EPG) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की अज्ञात परिणति ने नेपाल में भारत की छवि को बेहतर बनाने में कोई मदद नहीं की है।
    - लेकिन इस प्रक्रिया में कई नेपाली नागरिक जो कानूनी रूप से 25,000 रुपए भारतीय मुद्रा रखने के हकदार थे (यह देखते हुए कि नेपाली रुपया भारतीय रुपए के साथ सहयुक्त (Pegged) है) वंचित छोड़ दिये गए।
- क्षेत्र-संबंधी विवाद: भारत-नेपाल संबंधों में एक और बाधा कालापानी सीमा विवाद से आई है। इन सीमाओं को वर्ष 1816 में अंग्रेज़ों द्वारा निर्धारित किया गया था और भारत को वे क्षेत्र विरासत में प्राप्त हुए जिन पर 1947 तक अंग्रेज़ क्षेत्रीय नियंत्रण रखते थे।
  - जबकि भारत-नेपाल सीमा का 98% सीमांकित किया गया था, दो क्षेत्रों- सुस्ता और कालापानी में यह कार्य अपूर्ण ही बना रहा।
  - वर्ष 2019 में नेपाल ने एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी करते हुए उत्तराखंड के कालापानी, लिंपियाधुरा एवं लिपुलेख पर और बिहार के पश्चिमी चंपारण ज़िले के सुस्ता क्षेत्र पर अपना दावा जताया।

नेपाल के साथ मतभेद दूर करने के उपाय

- क्षेत्रीय विवादों के लिये संवाद: आज आवश्यकता इस बात की है कि क्षेत्रीय राष्ट्रवाद के आक्रामक प्रदर्शन से बचा जाए और शांतिपूर्ण बातचीत के लिये आधार तैयार किया जाए जहाँ दोनों पक्ष संवेदनशीलता का प्रदर्शन करते हुए संभव समाधानों की तलाश करें। 'नेबरवुड फर्स्ट' की नीति के गंभीर अनुपालन के लिये भारत को एक संवेदनशील और उदार भागीदार बनने की ज़रूरत है ।
  - सीमा-पार जल विवादों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून (International law on Trans-boundary Water Disputes) के तत्वावधान में विवादों पर कूटनीतिक वार्ता की जानी चाहिये।
  - इस संबंध में भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा विवाद समाधान को एक मॉडल के रूप में देखा जा सकता है।
- नेपाल के प्रति संवेदनशीलता: भारत को लोगों के परस्पर-संपर्क, नौकरशाही संलग्नता के साथ-साथ राजनीतिक अंत:क्रिया के मामले में नेपाल के साथ अधिक सक्रिय रूप से संबद्ध होना चाहिये।
  - भारत को नेपाल के आंतरिक मामलों से दूर रहने की नीति बनाए रखनी चाहिये, जबकि मित्रता की भावना की पुष्टि करते हुए अधिक समावेशी रुख प्रदर्शित करना चाहिये।
- आर्थिक संबंधों को मज़बूत करना: बिजली व्यापार समझौता ऐसा होना चाहिये कि भारत नेपाल के अंदर भरोसे का निर्माण कर सके। भारत में अधिकाधिक नवीकरणीय (सौर) ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के बावजूद जलविद्युत ही एकमात्र स्रोत है जो भारत में चरम मांग की पूर्ति कर सकता है।
  - भारत के लिये नेपाल से बिजली खरीदने का अर्थ होगा इस चरम मांग का प्रबंधन कर सकना और अरबों डॉलर के निवेश की बचत करना (जो अन्यथा नए बिजली संयंत्रों के निर्माण में निवेश किये जाएंगे और उनमें से कई प्रदूषण का कारण बनेंगे)।

नोट :

- भारत से निवेश: भारत और नेपाल के बीच हस्ताक्षरित 'द्विपक्षीय निवेश संवर्द्धन और संरक्षण समझौते' (Bilateral Investment Promotion and Protection Agreement- BIPPA) पर नेपाल की ओर से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
  - नेपाल में निजी क्षेत्र, विशेष रूप से व्यापार संघों की आड़ में कार्टेल, विदेशी निवेश के विरुद्ध कड़े संघर्ष चला रहे हैं।
  - यह महत्त्वपूर्ण है कि नेपाल यह संदेश दे कि वह भारतीय निवेश का स्वागत करता है।

स्टार्टअप्स की ग्रोथ स्टोरी

संदर्भ

पिछले डेढ़ दशक में भारत के उद्यमिता परिदृश्य में नए स्टार्टअप्स की स्थापना से लेकर वैश्विक निवेशकों की बढ़ती रुचि और अवसंरचना एवं नीतियों में प्रगति तक, महत्त्वपूर्ण परिवर्तन देखा गया है।

भारतीय स्टार्टअप पारितंत्र ने वर्ष 2021 में असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया; भारतीय स्टार्टअप्स में निवेशकों का बढ़ता भरोसा बेहद आशाजनक है और 'सीड-स्टेज फंडिंग' (seed-stage funding) सहित स्टार्टअप की विकास यात्रा के विभिन्न चरणों में प्रगति हो रही है।

भारत में स्टार्टअप विकास परिदृश्य

- भारत स्टार्टअप्स के लिये एक 'हॉटस्पॉट' है। अकेले वर्ष 2021 में ही भारतीय स्टार्टअप्स ने 23 बिलियन डॉलर से अधिक की राशि जुटाई, 1,000 से अधिक सौदों में शामिल हुए और 33 स्टार्टअप कंपनियों का तो प्रतिष्ठित 'यूनिकॉर्न क्लब' में भी प्रवेश हुआ। वर्ष 2022 में अब तक 13 अन्य स्टार्टअप यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो चुके हैं।
  - संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप पारितंत्र के रूप में उभरा है।
    - वर्तमान में भारत में स्टार्टअप्स की संख्या में तेज़ी से वृद्धि हो रही है। 'बैन एंड कंपनी' द्वारा प्रकाशित 'इंडिया वेंचर कैपिटल रिपोर्ट 2021' के अनुसार संचयी स्टार्ट-अप की संख्या वर्ष 2012 के बाद से 17% चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर (CAGR) से बढ़ी है और 1,12,000 की संख्या को पार कर गई है।

भारत के स्टार्टअप पारितंत्र के तेज़ विकास के कारण

- स्टार्टअप्स के महत्त्व को पहचानना: भारत ने अपने वृहत छात्र समुदाय के लिये नवाचार और इनक्यूबेशन केंद्र विकसित करने की आवश्यकता को समझा है ताकि अकादमिक संस्थानों के माध्यम से उनमें नवाचार और उद्यमशीलता की मानसिकता को बढ़ावा दिया जा सके।
  - इनक्यूबेटरों की बढ़ती संख्या और अपने स्वयं के उद्यम शुरू करने की दिशा में युवा कार्यकारियों का एक नियमित झुकाव भी भारत में उद्यमिता और आरंभिक चरण के स्टार्टअप पारितंत्र को बढ़ावा दे रहा है।
- क्षमता की उपलब्धता: वर्ष 2021 के टेक स्टार्टअप पर एक अध्ययन से पता चला है कि 'एडटेक' (edtech) संस्थापकों की एक बड़ी संख्या IITs और प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेजों के युवा स्नातकों या वैश्विक कंसल्टिंग फर्मों के लिये काम कर चुके युवाओं की हैं।
  - उत्साह, विशेषज्ञता और उद्यमशील मानसिकता रखने वाले इन युवा प्रतिभाओं की उपलब्धता भारत के आरंभिक चरण के स्टार्टअप पारितंत्र को तेज़ी से विकास कर रहे बाज़ार अवसरों को भुनाने के मामले एक लाभप्रद स्थिति प्रदान कर रही है।
- स्टार्टअप के लिये विशिष्ट पहल: भारत सरकार प्रगतिशील नीतियों के कार्यान्वयन और प्रासंगिक अवसंरचना के निर्माण के माध्यम से आरंभिक चरण के स्टार्टअप के विकास को सुविधाजनक बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
  - वर्ष 2016 में लॉन्च किये गए 'स्टार्टअप इंडिया' पहल के तहत सरकार ने आरंभिक चरण के संभावित स्टार्टअप की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिये जटिल कानूनी, वित्तीय और ज्ञान आवश्यकताओं को सरल बनाने का प्रयास किया है।
    - निजी भागीदारी के लिये 'स्पेस-टेक' (space-tech) जैसे क्षेत्रों को खोलना, कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले स्टार्टअप के लिये 'टैक्स हॉलिडे' (कर अवकाश) और राज्य द्वारा संचालित इनक्यूबेटरों के निर्माण जैसे सुधार सफल स्टार्टअप स्थापित करने और उनके विकास में मदद कर रहे हैं।

- स्टार्टअप-कॉर्पोरेट सहयोग: पहले से स्थापित कॉरपोरेट्स, जिनके पास नवाचार क्षमता और दक्षता की कमी है, और आरंभिक चरण के स्टार्टअप, जिनके पास विकास के लिये धन और बाज़ार पहुँच के लिये नेटवर्क की कमी है, ऐसे सहयोग और गुणित धन सृजन के लिये एक अद्वितीय और आरोह्य मंच प्रदान करते हैं।
    - विभिन्न कॉर्पोरेट-स्टार्टअप साझेदारी कार्यक्रम नवाचार को आगे बढ़ा रहे हैं और भारत में आरंभिक स्टार्टअप के विकास में गति ला रहे हैं। उल्लेखनीय है कि माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने 4,000 से अधिक स्टार्टअप कंपनियों को गति प्रदान की है, जबकि टाटा मोटर्स आधा दर्जन स्टार्टअप के साथ संबद्ध है और 20 अन्य के साथ साझेदारी की तलाश कर रहा है।
- जोखिम लेने की क्षमताएँ: इंजीनियरिंग और उत्पाद स्टार्ट-अप की ओर एक अत्यंत उत्साहजनक बदलाव आया है। भारतीय स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र की शक्ति युवा भारतीयों की जोखिम लेने की बढ़ती क्षमताओं और महत्वाकांक्षाओं में सबसे अधिक परिलक्षित होती है।
    - युवा पीढ़ी की जोखिम उठाने और बिना किसी भय के तेज़ी से आगे बढ़ने की यह क्षमता आज भारत की सबसे बड़ी संपत्ति बन गई है।
        - यह तथ्य कि भारतीय स्टार्टअप आज विश्व बाज़ारों के लिये उत्पाद और समाधान पेश करते वैश्विक निकायों में परिणत हो रहे हैं, इस दृष्टिकोण की पुष्टि करता है।

विद्यमान समस्याएँ

- घरेलू वित्तपोषण की कमी: वित्तपोषित स्टार्ट-अप कुल स्टार्ट-अप के लगभग 8% ही हैं और वैश्विक स्तर पर यूनिकॉर्न की संख्या में भारत की हिस्सेदारी महज 4% है, जबकि अमेरिका की हिस्सेदारी 65% और चीन की हिस्सेदारी 14% तक है।
    - अमेरिका उद्यम पूंजी और स्टार्ट-अप में सालाना 135 बिलियन डॉलर से अधिक और चीन 65 बिलियन डॉलर से अधिक का निवेश करते हैं, जिसमें 60% से अधिक स्थानीय पूंजी होती है। इसके विपरीत, भारत सालाना महज 10 बिलियन डॉलर का निवेश करता है जिसमें 90% विदेशी पूंजी होती है।
- 'फंडिंग बबल' का भय: भारत में 'फंडिंग बबल' (Funding Bubble) या उच्च मूल्यांकन का भय है जो उद्यम पूंजी निवेशक कुछ मौकों पर भुगतान करते प्रतीत होते हैं।
    - यह भय उन निवेश रणनीतियों और जोखिम प्रबंधन ढाँचे की अपर्याप्त समझ से उत्पन्न होता है जो सफल उद्यम पूंजी फर्मों द्वारा उपयोग किये जाते हैं।
- विदेशी अधिवास: वर्तमान में भारत के लगभग 30 यूनिकॉर्न देश के बाहर अधिवासित हैं, जो पुराने पड़ चुके विदेशी मुद्रा नियमों, प्रासंगिक संघीय नियमों के गैर-कार्यान्वयन, कर-आतंकवाद (tax terrorism) और स्थानीय पूंजी प्रोत्साहन की कमी के कारण बाहर चले गए।
    - डीपटेक और हेल्थकेयर स्टार्ट-अप को अभी भी देश में विकसित होने के लिये पर्याप्त आरंभिक पूंजी प्राप्त नहीं होती और वे विदेशी अधिवास के के लिये बाध्य हैं।
- शिक्षा और अपस्किलिंग: वर्तमान क्षमताओं से आगे बढ़ने के लिये और जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त करने के लिये भारत के कार्यबल की शिक्षा, रिस्किलिंग और अपस्किलिंग महत्त्वपूर्ण है।
    - यह समझने की आवश्यकता है कि घरेलू नीतिगत वातावरण के अलावा वैश्विक वातावरण एवं प्रौद्योगिकीय विकास में भी परिवर्तन आ रहा है और यह आवश्यक है कि भारत इस क्रांति/संक्रमण के लिये तैयार हो।

आगे की राह

- निवेशकों की भूमिका: स्टार्ट-अप पारि तंत्र की तेज़ प्रगति उल्लेखनीय मात्रा में वित्तपोषण की आवश्यकता रखती है और इसलिये उद्यम पूंजी निवेशकों और एंजेल निवेशकों की भूमिका महत्त्वपूर्ण है।
    - निवेशकों को यह भी समझने की ज़रूरत है कि स्टार्ट-अप की सफलता दर तुलनात्मक रूप से कम होती है और उन्हें इस आधार पर अपनी निवेश रणनीतियों का निर्माण करना चाहिये।
        - उद्यम पूंजी निवेशकों के पास पोर्टफोलियो स्तर पर पर्याप्त जोखिम प्रबंधन ढाँचा होना चाहिये क्योंकि यह सभी सफल उद्यम पूंजी संचालन का एक महत्त्वपूर्ण अंग होता है।
- कॉर्पोरेट क्षेत्र की भूमिका: उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले नीति-स्तरीय निर्णयों के अलावा, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और प्रभावशाली प्रौद्योगिकी समाधानों के निर्माण और संवहनीय एवं संसाधन-कुशल विकास हेतु तालमेल के सृजन का उत्तरदायित्व भारत के कॉर्पोरेट क्षेत्र पर भी है।

नोट :

- भारत अभूतपूर्व आर्थिक विकास के शिखर पर खड़ा है और उसके पास वैश्विक 'गेम-चेंजर' बनने का अवसर मौजूद है। इस अभियान में देश की युवा आबादी के साथ ही गति, समावेशन और संवहनीयता की प्रमुख भूमिका होगी।

- भौतिक और डिजिटल कनेक्टिविटी: स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल अवसंरचना को सशक्त करने और विनिर्माण क्षेत्र में रोज़गार को बढ़ावा देने पर देश के ध्यान के साथ भारत अपनी स्वतंत्रता की सौवीं वर्षगाँठ (India@100) पर वैश्विक अर्थव्यवस्था के 'पावरहाउस' में परिणत हो सकता है।
  - भौतिक और डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार के लिये सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के भविष्य के सामूहिक प्रयासों से ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी भारत की अप्रयुक्त क्षमता को 'अनलॉक' करने में मदद मिलेगी जिससे वास्तविक रूप से चतुर्थ औद्योगिक क्रांति (Industry 4.0) और उससे आगे के भविष्य को आकार दिया जा सकेगा।
    - भारतीय स्टार्टअप पारितंत्र को ऐसे समाधान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये जो प्रमुख क्षेत्रों के व्यवसायों को राष्ट्रीय महत्त्व के लक्ष्यों को पूरा करने का अवसर दे।
- विश्व व्यवस्था में परिवर्तन के बीच अवसर: चीन में पूंजी अविश्वास पैदा करने वाली हालिया घटनाओं के साथ भारत में आकर्षक तकनीकी अवसरों और सृजित किये जा सकने वाले मूल्य की ओर विश्व आकर्षित हो रहा है। इसके लिये भारत को 'डिजिटल इंडिया' पहल के अलावा निर्णायक नीतिगत उपायों की ज़रूरत है।
  - भारत को स्टार्ट-अप क्षेत्र में वैश्विक और घरेलू निवेश दोनों के लिये मज़बूत विनियमनों की आवश्यकता है।
    - वैश्विक निवेशकों को यह भरोसा दिलाया जाना चाहिये कि वे भारत में स्वतंत्र रूप से निवेश कर सकते हैं और उन्हें अपने निवेश पर लाभ की प्राप्ति होगी।

हमें इन्वेस्टर-केवाईसी (investor-KYC) का एक रिपॉजिटरी सृजित करने की आवश्यकता है जहाँ 'पता लगा सकने की क्षमता' (traceability) और 'निर्बाध शासन' की सुनिश्चितता हो।

शहरी नियोजन और जलवायु परिवर्तन

संदर्भ

भारत, इतिहास में सबसे बड़े शहरी विकास उछाल में से एक का सामना कर रहा है। हालाँकि वर्ष 2050 तक शहरों में जो अवसंरचनाएँ होंगी, उनके तीन-चौथाई भाग का निर्माण होना अभी शेष ही है। इससे भारतीय शहरों को आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव को सक्षम कर सकने के लिये दीर्घकालिक रणनीतिक दृष्टिकोण से शहरी नियोजन एवं विकास को साकार कर सकने का अभूतपूर्व अवसर प्राप्त हो रहा है।

हमारे लिये ऐसा विकास उपयुक्त नहीं होगा जो जलवायु संकट-जोखिम के इस कालखंड में सतत् नहीं है। IPCC की नवीनतम रिपोर्ट बताती है कि स्मार्ट शहरी नियोजन जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम कर सकता है।

शहरों और जलवायु परिवर्तन के संबंध में IPCC के AR6 के निष्कर्ष

शहरी विकास के विषय में

- 21वीं सदी शहरी विकास की सदी होगी जो वैश्विक शहरी आबादी में भारी वृद्धि से परिभाषित होगी।
  - वर्ष 2018 में विश्व की लगभग 55% आबादी शहरों में निवास कर रही थी। एशियाई और अफ्रीकी शहरों में जारी भारी जनसंख्या वृद्धि के साथ यह आँकड़ा वर्ष 2050 तक बढ़कर 68% हो जाने का अनुमान है।
- IPCC की AR6 रिपोर्ट (भाग - II) के अनुसार तीव्र गर्मी व लुप्त होते हरित क्षेत्रों के कारण शहर सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे।
  - बढ़ते शहरीकरण का अर्थ है कि यदि विश्व को 'शुद्ध शून्य' पर पहुँचना है, तो उसे जलवायु-प्रत्यास्थी विकास सुनिश्चित करना होगा। जलवायु अनुकूल शहरी नीतियाँ भी वायु प्रदूषण को कम कर सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करेंगी।

शहरों का उत्सर्जन परिदृश्य

- वर्ष 2020 में शहर वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के 72% (वर्ष 2015 में 62% से ऊपर बढ़ते हुए) हेतु उत्तरदायी थे।

- ◆ ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व-औद्योगिक स्तरों के 1.5 °C के भीतर सीमित रखने हेतु दुनिया को अवसर दे सकने के लिये शहरों को द्रुत गति से कार्य करने की आवश्यकता है, साथ ही वित्तपोषण में भी पर्याप्त वृद्धि की आवश्यकता होगी।
- ◆ आक्रामक जलवायु कार्रवाई वर्ष 2050 तक शहर के उत्सर्जन को शुद्ध शून्य पर ला सकती है, लेकिन कार्रवाई में विफल रहने पर उस समय शहरी उत्सर्जन के दोगुना हो जाने का भी खतरा है।

- IPCC की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शहरी अवसंरचना और गतिविधियाँ वर्तमान वैश्विक उत्सर्जन के लगभग दो-तिहाई भाग के लिये ज़िम्मेदार हैं। हालाँकि इसका अर्थ यह भी है कि शहर संभावित रूप से दो-तिहाई समस्या का समाधान कर सकते हैं।

शहरी अवसंरचना से संबद्ध समस्याएँ

- जलवायु गैर-अनुकूलता: शहरी अवसंरचनाओं के विकास के परिणामस्वरूप उच्च आर्थिक मूल्यवर्द्धन होता है लेकिन यह प्राय: असमान और असंगत विकास की ओर ले जाता है।
  - ◆ वायु एवं जल प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, बाढ़ और चरम गर्मी जैसे नकारात्मक बाह्य कारक शहरी अवसंरचना के आर्थिक मूल्य को प्रभावित करते हैं।
  - ◆ घरों को बिना वेंटिलेशन के बनाया जाता है, ऐसी निर्माण सामग्रियों का उपयोग किया जाता है जो इन्सुलेशन प्रदान नहीं करते हैं और ऐसे वास्तुशिल्प डिज़ाइन चुने जाते हैं जो प्रकृति के साथ संगत नहीं होते। जलवायु संकट इनसे संबद्ध जोखिमों को और बढ़ा देगा।
- पुरानी नियोजन तकनीक: भारत में शहर एवं देश नियोजन अधिनियम पिछले 50 वर्षों में प्राय: अपरिवर्तित ही बने रहे हैं और आज भी अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित तकनीकों पर ही निर्भर हैं।
  - ◆ शहर अभी भी भूमि उपयोग और नियामक नियंत्रण-आधारित मास्टर प्लान तैयार करते हैं, जो स्वयं अपने दोष के कारण शहरों की योजना और प्रबंधन में अप्रभावी हैं।
  - ◆ वायु प्रदूषण, शहरी बाढ़ और सूखा जैसी कई शहर-केंद्रित समस्याएँ शहरी भारत के समग्र विकास में अवरोधों के रूप में मौजूद हैं और ये सभी ही अवसंरचना की कमियों एवं योजना की अपर्याप्तता का संकेत देते हैं।
- प्रक्रियात्मक देरी और लचर कार्यान्वयन: मास्टर प्लान अपने निर्माण, स्वीकृति और कार्यान्वयन में लंबी देरी का सामना करते हैं। इनमें अन्य क्षेत्रीय अवसंरचना योजनाओं के साथ एकीकरण हेतु अधिदेश की भी कमी है।
  - ◆ शहरों के प्रति प्राय: एक स्थिर, 'ब्रॉड-ब्रश' दृष्टिकोण अपनाया जाता है जिनमें गतिशील बारीक-संरचनाएँ और स्थानीय विशिष्टताएँ होती हैं। अधिकांश मामलों में कार्यान्वयन दर पर्याप्त रूप से कम है।
  - ◆ पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) जैसे नियामक तंत्रों में वर्षा जल संचयन, सतत् शहरी जल निकासी प्रणाली जैसे प्रावधानों की उपस्थिति के बावजूद उपयोगकर्त्ता के साथ-साथ प्रवर्तन एजेंसियों के स्तर पर इनका अंगीकरण कम होता है।

आगे की राह

- आर्थिक नियोजन और जलवायु कार्रवाई का सामंजस्य: शहरों के संबंध में भारत की पदानुक्रमित प्रणाली (नवाचार और आर्थिक विकास का नेतृत्व करते मेगा शहरों से लेकर स्थानीय एवं क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं का समर्थन एवं ग्रामीण इलाकों से जुड़ाव सुनिश्चित करते छोटे शहरों तक) को लक्षित आर्थिक विकास योजना और सकारात्मक जलवायु कार्रवाई की आवश्यकता है।
  - ◆ शोध से पता चलता है कि यदि शहरों को सुगठित और जलवायु-प्रत्यास्थी केंद्रों के रूप में विकसित किया जाता है, तो अवसंरचना निवेश समय के साथ न्यूनतम जलवायु प्रभाव और अधिक आर्थिक लाभ पैदा कर सकता है, जबकि यह समान विकास भी सुनिश्चित करता है।
- रणनीतिक डिज़ाइन और विकास: वैश्विक स्तर पर शहर स्थानीय क्षेत्र की योजनाओं के साथ-साथ रणनीतिक योजनाओं एवं परियोजनाओं को विकसित करने के अभ्यास की ओर आगे बढ़ रहे हैं।
- परियोजनाओं को उस भूमि के संदर्भ में जिसे उपलब्ध कराया जा सकता है और उस पूंजीगत संसाधन के संदर्भ में जिसे जुटाया जा सकता है, डिज़ाइन और विकसित किया जाना चाहिये।
  - ◆ शहर की प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने के लिये प्रत्येक पाँच वर्ष में रणनीतिक योजनाएँ विकसित की जानी चाहिये और कार्यान्वित की जाने वाली प्रमुख परियोजनाओं की पहचान कर संवहनीयता एवं आर्थिक विकास के संबंध में इसके रणनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद की जानी चाहिये।

- स्थानीय क्षेत्रों के लिये योजनाएँ: इन योजनाओं को मास्टर प्लान के समग्र उद्देश्यों का समर्थन करते हुए, सार्वजनिक भागीदारी, स्थानीय चुनौतियों, आवश्यकताओं एवं और महत्त्वाकांक्षाओं के संदर्भ में नागरिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कल्याण को सुनिश्चित करने के लिये विकसित किया जाना चाहिये।
- शहरों को शहरी-ग्रामीण सातत्य के बीच सुदृढ़ संबंध निर्माण के लिये स्थानिकृत सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय डेटा के उपयोग को मुख्यधारा में लाने का भी लक्ष्य रखना चाहिये।

- शहर विकास के प्रति दृष्टिकोण पर पुनर्विचार: भारत अपने सतत् विकास लक्ष्यों और संयुक्त राष्ट्र के नए शहरी एजेंडा की पूर्ति कर सके, इसके लिये सरकार को देश की बसावटों और उनके बीच कनेक्टिंग नेटवर्क के योजना निर्माण एवं प्रबंधन के तरीके पर पुनर्विचार करने और उन्हें अभिनव रूप देने की आवश्यकता होगी।
  - आवश्यकता केवल यह नहीं है कि द्रुत गति से GHG उत्सर्जन में कमी लाई जाए, बल्कि यह भी है कि विकास के रास्ते पर हम ऐसे आगे बढ़ें जहाँ हम जलवायु संकट के घातक प्रभावों के अतिरिक्त जोखिमों का 'प्रबंधन' कर सकने में सक्षम हों।
  - शहरों को कई संस्कृतियों के संगम स्थल और रोज़गार के अवसरों के सृजक के रूप में देखा जाना चाहिये तथा उनके भीतर और आसपास के प्राकृतिक वातावरण को भी संरक्षित करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

योजनाओं का संबंध लोगों से होता है, न कि केवल भौतिक स्थानों से। जलवायु कार्रवाई और आर्थिक एवं सामाजिक एकीकरण पर ध्यान देने के साथ भविष्य के विकास एवं प्रगति के बारे में आम सहमति का निर्माण करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। इस तरह की भागीदारीपूर्ण प्रक्रिया ही एक जीवंत, समावेशी और वास योग्य शहरी भारत के निर्माण में मदद करेगी।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल हासिल करना

संदर्भ

कोविड-19 संकट ने एक ऐसे विषय के पुनरुद्धार का सुअवसर प्रदान किया है जिसके भारत में साकार होने की गति मंद रही है। यह विषय है- सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल (Universal Health Care- UHC)।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल को सुदृढ़, उत्तरदायी और कुशल स्वास्थ्य प्रणालियों के निर्माण के एक मार्ग के रूप में देखा जाता है, जो स्वास्थ्य देखभाल तथा दवा की बढ़ती लागत से आबादी को बचाने के साथ-साथ स्वास्थ्य देखभाल की मांगों में बढ़ती असमानताओं को दूर कर सकने में सक्षम है।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल (UHC)

- UHC में निहित मूल विचार यह है कि भुगतान कर सकने की क्षमता की कमी के कारण किसी को भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल से वंचित नहीं किया जाना चाहिये। हाल के समय में UHC मानव न्यायसंगतता, सुरक्षा और गरिमा के लिये एक महत्त्वपूर्ण संकेतक बन गया है।
- UHC दुनिया भर में सार्वजनिक नीति का एक स्वीकृत उद्देश्य बन गया है। कई देशों में इस दृष्टिकोण को साकार किया गया है, जिनमें केवल अमीर देश (अमेरिका को छोड़कर) ही नहीं बल्कि ब्राजील, चीन, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे अन्य देश भी शामिल हैं।
- भारत (या कम से कम कुछ भारतीय राज्यों) के लिये भी इस दिशा में कदम बढ़ाने का यह उपयुक्त समय होगा।

UHC को साकार करने की राह

- UHC आम तौर पर दो बुनियादी दृष्टिकोणों—सार्वजनिक सेवा और सामाजिक बीमा में से एक पर या दोनों पर निर्भर होता है। पहले दृष्टिकोण के तहत स्वास्थ्य देखभाल नि:शुल्क सार्वजनिक सेवा के रूप में (जिस प्रकार अग्निशमन या सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा उपलब्ध होती है) प्रदान किया जाता है।
- दूसरा दृष्टिकोण अर्थात् सामाजिक बीमा प्रदान करने का दृष्टिकोण स्वास्थ्य देखभाल के निजी और सार्वजनिक प्रावधान दोनों की अनुमति देता है, लेकिन लागत अधिकांशत: मरीज के बजाय सामाजिक बीमा कोष द्वारा वहन की जाती है।

- यह निजी बीमा बाज़ार से बेहद अलग स्थिति है जहाँ बीमा अनिवार्य और सार्वभौमिक है, जो मुख्य रूप से सामान्य कराधान से वित्तपोषित है तथा सार्वजनिक हित में एकल गैर-लाभकारी एजेंसी द्वारा परिचालित है।
  - मूल सिद्धांत यह है कि सभी को इसके दायरे में लिया जाना चाहिये और बीमा निजी लाभ के बजाय सार्वजनिक हित की ओर उन्मुख हो।

UHC के मार्ग की चुनौतियाँ

- जन स्वास्थ्य केंद्रों की अनुपलब्धता: सामाजिक बीमा पर आधारित व्यवस्था में भी लोक सेवा एक आवश्यक भूमिका निभाती है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और निवारक कार्यों के लिये समर्पित सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों की अनुपलब्धता रोगियों के लिये हर दूसरे दिन महँगे अस्पतालों में जाने का जोखिम पैदा करती है। इससे पूरी प्रणाली ही बेकार और महँगी हो जाती है।
- लागत पर नियंत्रण: सामाजिक बीमा के साथ लागत को नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि महँगे देखभाल में मरीजों और स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं दोनों की ही रुचि है; एक बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करना चाहता और दूसरा कमाई करना।
  - एक संभावित उपाय यह है कि रोगी को लागतों का वहन करने दिया जाए लेकिन यह फिर UHC के सिद्धांत के विपरीत है।
  - हाल के साक्ष्य बताते हैं कि छोटे सह-भुगतान भी प्राय: कई गरीब रोगियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल से दूर कर देते हैं।
- UHC के तहत सेवाओं की पहचान करना: एक और बड़ी चुनौती यह पहचान करने की है कि आरंभ में कौन सी सेवाएँ सार्वभौमिक रूप से प्रदान की जानी हैं और किस स्तर की वित्तीय सुरक्षा स्वीकार्य मानी जाएगी।
  - समग्र आबादी को एक ही तरह की सेवाएँ प्रदान करना आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है और इसके लिये भारी संसाधन जुटाने की आवश्यकता होगी।
- निजी क्षेत्र का विनियमन: सामाजिक बीमा से संबद्ध एक और चुनौती निजी स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं को विनियमित करने की होगी। लाभकारी और गैर-लाभकारी प्रदाताओं के बीच एक महत्त्वपूर्ण अंतर करने की आवश्यकता है।
  - गैर-लाभकारी स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं ने दुनिया भर में बहुत अच्छा कार्य किया है।
  - लेकिन लाभकारी स्वास्थ्य देखभाल गहन रूप से समस्याग्रस्त है, क्योंकि वहाँ लाभ कमाने के उद्देश्य और रोगी की भलाई के बीच एक व्यापक संघर्ष की स्थिति पाई जाती है।

HOPS फ्रेमवर्क क्या है और यह UHC की प्राप्ति में कैसे मदद करेगा?

- परिचय: UHC के लिये एक ऐसे ढाँचे की परिकल्पना करना संभव है जो मुख्य रूप से सार्वजनिक सेवा के रूप में स्वास्थ्य देखभाल पर आधारित होगा। इस ढाँचे या फ्रेमवर्क को 'वैकल्पिक सार्वजनिक सेवा के रूप में स्वास्थ्य देखभाल' (Healthcare As An Optional Public Service- HOPS) कहा जा सकता है।
  - HOPS के तहत सभी को उनकी इच्छा और आवश्यकता के अनुसार किसी सार्वजनिक संस्थान से नि:शुल्क, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करने का कानूनी अधिकार होगा। यह किसी को भी स्वयं के व्यय पर निजी क्षेत्र से स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करने से अवरुद्ध नहीं करेगा।
  - लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र हर किसी को अधिकार की तरह और नि:शुल्क उपयुक्त स्वास्थ्य सेवाओं की गारंटी देगा।
- उदाहरण: कुछ भारतीय राज्य पहले से ही ऐसा कर रहे हैं, जैसे केरल और तमिलनाडु जहाँ सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश बीमारियों का इलाज मामूली व्यय पर संतोषजनक ढंग से किया जा सकता है।
- महत्त्व: यदि सार्वजनिक क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल नि:शुल्क उपलब्ध होगा तो अधिकांश रोगियों के पास निजी क्षेत्र में जाने का कोई कारण नहीं होगा।
  - सार्वजनिक क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध नहीं होने वाली कवर प्रक्रियाओं में मदद कर सामाजिक बीमा भी इस ढाँचे में एक भूमिका निभा सकता है (उदाहरण के लिये, हाई-एंड सर्जरी)।
  - हालाँकि HOPS आरंभ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा मॉडल की तरह समतावादी नहीं होगा, फिर भी यह UHC की ओर एक बड़ा कदम होगा।
    - इसके अलावा, यह समय के साथ और अधिक समतावादी होता जाएगा, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र स्वास्थ्य सेवाओं की विस्तृत व बढ़ती शृंखला प्रदान करता है।

आगे की राह

- जीवंत स्वास्थ्य प्रणाली: एक जीवंत स्वास्थ्य प्रणाली में न केवल अच्छा प्रबंधन और पर्याप्त संसाधन शामिल होंगे, बल्कि एक अच्छी कार्य-संस्कृति और पेशेवर नैतिकता भी शामिल होगी।
  - एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी अद्भुत काम कर सकता है, लेकिन तब जब डॉक्टर और नर्स तत्परता से अपना कार्य तथा मरीजों की देखभाल कर रहे हों।
- UHC के लिये मानक: HOPS ढाँचे के साथ मुख्य कठिनाई गुणवत्ता मानकों सहित प्रस्तावित स्वास्थ्य देखभाल गारंटी के दायरे को निर्दिष्ट करना है। UHC का अर्थ असीमित स्वास्थ्य देखभाल नहीं है। सार्वभौमिक गारंटी की भी अपनी सीमाएँ होती हैं।
  - HOPS समय के साथ इन मानकों को संशोधित करने के लिये एक विश्वसनीय पद्धति के साथ कुछ स्वास्थ्य देखभाल मानकों को निर्धारित कर सकेगा। भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक जैसे कुछ उपयोगी तत्व पहले से ही उपलब्ध हैं।
- स्वास्थ्य पर राज्य विशिष्ट कानून: तमिलनाडु अपने प्रस्तावित 'स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक' के तहत HOPS को साकार करने के लिये तैयार है। राज्य पहले से ही सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश स्वास्थ्य सेवाएँ बेहतर प्रभावशीलता से उपलब्ध कराने में सफल रहा है।
  - स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक सभी के लिये गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल हेतु राज्य की प्रतिबद्धता की एक अमूल्य पुष्टि होगी; यह रोगियों और उनके परिवारों को गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की मांग करने के लिये सशक्त करेगा, जिससे प्रणाली को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
  - तमिलनाडु की पहल अन्य राज्यों के लिये अनुकरणीय हो सकती है।
- स्वास्थ्य वित्त पोषण: UHC की प्राप्ति के लिये यह महत्त्वपूर्ण है कि सरकारें अपने देश की स्वास्थ्य वित्तपोषण प्रणाली में हस्तक्षेप करें ताकि गरीबों और कमज़ोर लोगों का समर्थन किया जा सके।
  - इसके लिये अनिवार्य सार्वजनिक शासित स्वास्थ्य वित्तपोषण प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता है, जिसमें जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये उपयुक्त रूप से धन जुटाने, संसाधनों का निवेश करने और सेवाओं को खरीद में राज्य की मज़बूत भूमिका हो।
  - सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों के लिये अधिक लक्षित वित्तपोषण देखभाल और पहुँच की गुणवत्ता के संबंध में अंतर्निहित कमज़ोरियों से निपटने में मदद करेगा, दवाओं पर 'आउट-ऑफ-पॉकेट' व्यय को कम करेगा और मानव संसाधन एवं अवसंरचना की कमी में सुधार करेगा।

मीथेन उत्सर्जन से निपटना

संदर्भ

जलवायु समस्या में मीथेन की भूमिका बढ़ती ही जा रही है। यह प्राकृतिक गैस का एक प्राथमिक घटक है और यह एक तुलनात्मक समय में वायुमंडलीय CO2 की तुलना में 80 गुना अधिक तेज़ी से पृथ्वी को गर्म करने की क्षमता रखती है।

मीथेन पर कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में बहुत कम ध्यान दिया गया है, लेकिन हाल ही में यूक्रेन युद्ध के प्रसंग में और पर्मियन बेसिन में (संयुक्त राज्य अमेरिका का एक जीवाश्म ईंधन समृद्ध क्षेत्र) गैस के रिसाव पर नए शोध के कारण यह चर्चा में रही है।

हालाँकि वायुमंडल में मीथेन की वृद्धि हो रही है, लेकिन वैज्ञानिकों के बीच इस बात पर कोई सहमति नहीं है कि विभिन्न स्रोतों से किस मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हो रहा है।

मीथेन अधिक हानिकारक क्यों है ?

- मीथेन एक अदृश्य गैस है जो जलवायु संकट को पर्याप्त रूप से बढ़ा सकती है। यह एक हाइड्रोकार्बन है जो प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है और इसका उपयोग ईंधन के रूप मं। स्टोव जलाने, घरों को गर्म करने और उद्योगों को ऊर्जा प्रदान करने के लिये किया जाता है।
- मीथेन को कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में एक अधिक मोटे कंबल के रूप में देख सकते हैं जो अपेक्षाकृत कम अवधि में ग्रह को अधिक सीमा तक गर्म करने में सक्षम है।

- पृथ्वी के तापन पर इसका तत्काल प्रभाव पड़ता है। हालाँकि, कार्बन डाइऑक्साइड—जो सैकड़ों वर्षों तक वायुमंडल में रहती है, के विपरीत मीथेन लगभग एक दशक तक ही वायुमंडल में रहती है।

- मीथेन प्रदूषण, जो ज़मीनी स्तर के ओज़ोन का एक प्राथमिक घटक है और बेंजीन जैसे जहरीले रसायनों के साथ उत्सर्जित होता है, हृदय रोग, जन्म दोष, अस्थमा और अन्य प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों से संबद्ध है।

मीथेन के स्रोत

- जैविक स्रोत: मीथेन के कुछ जैविक स्रोत होते हैं। यह मीथेनोजेंस (methanogens) नामक मीथेन-उत्पादक सूक्ष्मजीवों द्वारा कुछ कार्बनिक यौगिकों से बनाया जाता है।
  - मीथेनोजेंस विभिन्न प्राकृतिक पर्यावरणों में पाए जाते हैं जहाँ बहुत कम ऑक्सीजन मौजूद होता है या ऑक्सीजन का अभाव होता है।
    - इस तरह के पर्यावरण में आर्द्रभूमि, लैंडफिल्स (जो अच्छी तरह से हवादार नहीं हैं) और जलमग्न धान के खेत आदि शामिल हैं।
- कृषि: कृषि वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत है। पशुधन उत्सर्जन (गोबर और गैस्ट्रोएंटेरिक उत्सर्जन से) मानव-जनित मीथेन उत्सर्जन में लगभग 32% हिस्सेदारी रखते हैं। गायें भी मीथेन का उत्सर्जन करती हैं।
  - धान की खेती, जहाँ जलमग्न खेत ऑक्सीजन के मिट्टी में प्रवेश को अवरुद्ध करते हैं, मीथेन-उत्सर्जक बैक्टीरिया के लिये आदर्श स्थिति का निर्माण करती है और यह मानव-जनित मीथेन उत्सर्जन के अन्य 8% के लिये ज़िम्मेदार है।
- ईंधन और उद्योगों से उत्सर्जन: गैस, कोयले और तेल साइटों से मीथेन के आशुलोपी उत्सर्जन (Fugitive emissions) जलवायु संकट में योगदान दे रहे हैं, लेकिन इस शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस के रिसाव की सीमा का निर्धारण करना कठिन रहा है।
  - निष्कर्षण और परिवहन से लेकर घरों एवं उद्योगों में उपयोग किये जाने की आपूर्ति शृंखला के हर चरण में मीथेन का रिसाव होता है।
  - उत्सर्जित होने वाली अधिकांश मीथेन 'अल्ट्रा-एमिटर' के कारण होती है, जो गैस की प्रचुर मात्रा को बाहर निकालती है।

पर्मियन बेसिन में हाल के उत्सर्जन

- इन्फ्रारेड कैमरों से लैस हेलीकॉप्टरों एवं ड्रोन की मदद से प्राप्त सूचनाओं और उपग्रह छवियों ने अमेरिका के टेक्सास और न्यू मैक्सिको में पर्मियन बेसिन से बड़ी मात्रा में मीथेन के रिसाव को दिखाया है।
- 'एनवायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी' पत्रिका में प्रकाशित एक नए अध्ययन ने अनुमान लगाया है कि अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी द्वारा अनुमानित 1.4% के विपरीत, पर्मियन बेसिन में 9% से अधिक गैस उत्पादन उत्सर्जन के रूप में लीक हो रहा है।

मीथेन उत्सर्जन पर अंकुश लगाने के लिये क्या उपाय किये गए हैं?

- COP26 प्रतिज्ञाएँ: ग्लासगो में आयोजित COP26 में 100 से अधिक देशों ने वर्ष 2030 तक मीथेन उत्सर्जन में 30% की कटौती करने के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड (जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में अधिक गहराई से अंतर्निहित है) की तुलना में मीथेन से निपटना अधिक आसान हो सकता है।
  - इस समझौते से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने 'वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा' (Global Methane Pledge) की घोषणा की थी जो इस दशक के अंत तक मीथेन उत्सर्जन में एक तिहाई की कटौती करने के लिये संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के नेतृत्व में संचालित एक प्रयास है।
- मीथेनसैट (MethaneSAT): मीथेन उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिये इसके स्रोतों की और निगरानी की आवश्यकता होगी। इसके लिये मीथेन रिसाव को ट्रैक करने वाले उपग्रहों, जैसे मीथेनसैट को लॉन्च करने की योजना बनाई गई है।
  - मीथेनसैट एक योजनाबद्ध अमेरिका-न्यूज़ीलैंड अंतरिक्ष मिशन है जिसे वर्ष 2022 के उत्तरार्द्ध में लॉन्च किया जाना है।
  - यह एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह होगा जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये वैश्विक मीथेन उत्सर्जन की निगरानी और अध्ययन करेगा।
- संयुक्त राष्ट्र की पहल: सितंबर 2021 में आयोजित 'संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन' का उद्देश्य खेती और खाद्य उत्पादन को अधिक पर्यावरण-अनुकूल बनाने में मदद करना था।
  - संयुक्त राष्ट्र की 'कोरोनिविया जॉइंट वर्क ऑन एग्रीकल्चर' (Koronivia Joint Work on Agriculture- KJWA) पहल बदलती जलवायु के बीच उत्पादकता बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करते हुए कृषि एवं खाद्य प्रणालियों के परिवर्तन का समर्थन कर रही है।

- भारत की पहल: केंद्रीय नमक और समुद्री रासायनिक अनुसंधान संस्थान (CSMCRI) ने देश के तीन प्रमुख संस्थानों के सहयोग से एक समुद्री शैवाल आधारित पशु चारा योज्य सूत्र तैयार किया है जिसका उद्देश्य मवेशियों से मीथेन उत्सर्जन को कम करना और मवेशियों एवं कुक्कुट की प्रतिरक्षा को बढ़ावा देना है।

मीथेन उत्सर्जन पर अंकुश लगाने का महत्त्व

- मानव-जनित मीथेन उत्सर्जन को एक दशक के भीतर 45% तक कम किया जा सकता है।
    - यह वर्ष 2045 तक ग्लोबल वार्मिंग के लगभग 0.3 डिग्री सेल्सियस को कम कर सकता है, जिससे वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने और पेरिस समझौते के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।
- ज़मीनी स्तर के ओज़ोन में क्रमिक कमी से 260,000 अकाल मृत्यु, 775,000 अस्थमा-संबंधी अस्पताल के दौरे, अत्यधिक गर्मी से 73 बिलियन घंटे श्रम की क्षति और 25 मिलियन टन फसल नुकसान को रोका जा सकेगा।

मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिये और क्या उपाय किये जा सकते हैं?

- ऊर्जा क्षेत्र में: मीथेन उत्सर्जन संपूर्ण तेल और गैस आपूर्ति शृंखला के साथ घटित होता है, लेकिन विशेष रूप से लीकिंग उपकरण, सिस्टम अपसेट और रूटीन फ्लेयरिंग एवं वेंटिंग (flaring and venting) से होने वाले फ्यूजीटिव उत्सर्जन की इसमें भूमिका है।
    - मौजूदा लागत प्रभावी समाधान उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसमें लीक डिटेक्शन एंड रिपेयर कार्यक्रम शुरू करना, बेहतर प्रौद्योगिकियों एवं परिचालन अभ्यासों को लागू करना और मीथेन की जब्ती एवं उपयोग करना (अन्यथा वे बेकार चले जाएँगे) शामिल हैं जो अन्यथा बर्बाद हो जाएगा।
- कृषि क्षेत्र में: किसान पशुओं को अधिक पौष्टिक चारा प्रदान कर सकते हैं ताकि वे बड़े, स्वस्थ और अधिक उत्पादक हों और इस प्रकार प्रभावी रूप से कम में अधिक का उत्पादन कर सकें।
    - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 'हरित धारा' (Harit Dhara) नामक एक एंटी-मिथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट विकसित किया है, जो मवेशियों द्वारा किये जाने वाले मीथेन उत्सर्जन में 17-20% की कटौती कर सकता है और इसके परिणामस्वरूप दूध का उत्पादन भी बढ़ सकता है।
    - धान की खेती के मामले में विशेषज्ञ AWD (Alternate Wetting and Drying) उपायों को अपनाने की सलाह देते हैं जो उत्सर्जन को आधा कर सकते हैं।
        - खेतों में लगातार जल बनाए रखने के बजाय पूरे फसल मौसम में दो-तीन बार सिंचाई और अपवाह का प्रयोग किया जा सकता है जिससे उपज को प्रभावित किये बिना मीथेन उत्पादन को सीमित किया जा सकता है।
        - इस प्रक्रिया में एक-तिहाई कम जल की आवश्यकता होगी, जिससे यह अधिक किफायती भी हो जाएगा।
- अपशिष्ट क्षेत्र में: अपशिष्ट क्षेत्र वैश्विक मानव-जनित मीथेन उत्सर्जन में लगभग 20% योगदान करते हैं।
    - लागत-प्रभावी शमन उपाय (जहाँ आर्गेनिक पदार्थों के पृथक्करण और पुनर्चक्रण में व्यापक संभावनाएँ निहित हैं) नए रोज़गार पैदा करने की भी क्षमता रखते हैं।
        - खाद्य क्षति और अपव्यय से बचना भी महत्त्वपूर्ण है।
    - इसके अतिरिक्त, लैंडफिल गैस को एकत्र करने और ऊर्जा पैदा करने से मीथेन उत्सर्जन कम होगा, अन्य प्रकार के ईंधन विस्थापित होंगे और राजस्व की नये अवसर सृजित होंगे।
- सरकार की भूमिका: भारत सरकार को एक खाद्य प्रणाली संक्रमण नीति की परिकल्पना करनी चाहिये ताकि लोग अलग तरह से खाद्य के उत्पादन और उपभोग से संलग्न हो सकें।
    - सरकार को एक व्यापक नीति विकसित करनी चाहिये जो किसानों को पादप-आधारित खाद्य उत्पादन के संवहनीय तरीकों की ओर ले जाए, औद्योगिक पशुधन उत्पादन एवं उससे जुड़े इनपुट से सब्सिडी को दूसरी ओर मोड़ सके और एकल समाधान के विभिन्न पहलुओं के रूप में रोज़गार सृजन, सामाजिक न्याय, गरीबी में कमी, पशु सुरक्षा और बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य को अवसर दे सके।

नोट :

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

1. 'वसुधैव कुटुंबकम' के अपने दृष्टिकोण के अनुरूप भारत ने वैश्विक खाद्य संकट के प्रबंधन में किस प्रकार सहायता की है। चर्चा कीजिये।
2. ''महिला उद्यमिता केवल लैंगिक समानता के लिये ही नहीं, बल्कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिये महत्त्वपूर्ण है।'' टिप्पणी कीजिये।
3. ''श्रीलंका में चल रहे आर्थिक संकट के बीच, भारत को श्रीलंका के लिये वित्तीय मदद, नीतिगत सलाह और भारतीय उद्यमियों की ओर से वहाँ निवेश की पेशकश करनी चाहिये। श्रीलंका में चीन की उपस्थिति पर नियंत्रण भारत के अपने हित में है।'' टिप्पणी कीजिये।
4. ''सदस्य देशों के बीच वर्द्धित सहयोग के साथ बिम्सटेक क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि एवं विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। बिम्सटेक को अधिक जीवंत, सुदृढ़ और परिणामोन्मुखी बनाने में भारत की महत्त्वपूर्ण भूमिका होगी। टिप्पणी कीजिये।
5. ''निजता पर आघात केवल अकादमिक बहस का मामला नहीं है, यह लोगों के लिये वास्तविक और शारीरिक एवं मानसिक परिणाम उत्पन्न करता है। इसकी रक्षा करने का उत्तरदायित्व सरकार के प्रत्येक अंग पर है।'' चर्चा कीजिये।
6. 'इंडो-पैसिफिक' के दृष्टिकोण से भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (ECTA) के महत्त्व पर चर्चा कीजिये।
7. भारत में प्रवासन नीति की गति को धीमा करने वाले प्रमुख कारकों और प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं को संबोधित करने में सरकार की भूमिका पर चर्चा कीजिये।
8. ''विश्व अभी एक निर्णायक क्षण में है; हम ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो या तो हमारी पारिस्थितिकी को स्थायी क्षति पहुँचाएँगे या एक स्वस्थ, बेहतर और हरित विश्व को बढ़ावा देंगे। यह हम ही हैं जिन्हें अपने ग्रह, स्वास्थ्य और भविष्य की रक्षा के लिये सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया देनी होगी।'' टिप्पणी कीजिये।
9. 'एक स्थिर, सुरक्षित एवं मैत्रीपूर्ण नेपाल भारत के लिये सुरक्षा एवं रणनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्त्वपूर्ण है।' चर्चा कीजिये।
10. भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में स्टार्टअप्स के महत्त्व को समझते हुए इस दशक को स्टार्ट-अप के लिये सर्वश्रेष्ठ बनाने हेतु उद्यमियों, निवेशकों और सरकार के संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है। टिप्पणी कीजिये।
11. ''जब भारत अपनी 100वीं वर्षगाँठ मनाएगा, तब तक उसकी लगभग आधी आबादी शहरी क्षेत्रों में रह रही होगी। इसलिये, न केवल भारत के मेगा शहरों का पोषण करना बल्कि टियर-2 और टियर-3 शहरों को अवसर देना भी अत्यंत आवश्यक है ताकि वे एक सतत् एवं जलवायु अनुकूल भविष्य के लिये तैयार हो सकें।'' टिप्पणी कीजिये।
12. ''कोई भी समाज वैध रूप से स्वयं को सभ्य नहीं कह सकता यदि किसी बीमार व्यक्ति को साधनों की कमी के कारण चिकित्सा सहायता से वंचित कर दिया जाता हो।'' टिप्पणी कीजिये।
13. मीथेन उत्सर्जन के प्रमुख प्रभावों की चर्चा कीजिये और उन उपायों के सुझाव दीजिये जो मीथेन के उत्सर्जन को कम करने में योगदान कर सकते हैं।

नोट :